खण्ड–40, अंक–03
बुधवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936
(दिनांक 11 जून, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 40 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
विपक्ष द्वारा हल्द्वानी एसिड हमले को नियम-310 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	1-11
प्रश्नोत्तर	11-32
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं...	33
प्रदेश में मनरेगा ग्राम रोजगार सेवकों को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	33
सल्ट विधान सभा क्षेत्र में मसाला इकाई के बन्द होने से जनता में भारी निराशा और होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	34
भीमताल विधान सभा क्षेत्र के किसानों के फल-फूल और सब्जी में ओलावृष्टि से हो रही क्षति पर सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिये जाने से क्षेत्र की जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	34-35
रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36
खटीमा विधान सभा क्षेत्र बरसात में जलमग्न हो जाने से जन-जीवन की परेशानी का समाधान न होने से जनता में भारी रोष के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	36
बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में विगत 2006 से सरयू नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण न होने से जनता में भारी रोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	36-37
ऋषिकेश विधान सभा अन्तर्गत गोहरी-माफी ग्राम सभा में बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ...	37
मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़ी कैण्ट में डिग्री कॉलेज खोले जाने की मॉंग के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना...	37-38

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को भी ऐलोपैथिक चिकित्सकों की भांति मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	38
विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण की जनता को पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना...	38–39
जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादराबाद के गाँव सुल्तानपुर मजरी में श्री हनुमान मन्दिर के पास अवैध रूप से खुली अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39
प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा अधूरे छोड़े गये निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39
उत्तराखण्ड के जंगलों में भीषण आग से अर्थव्यवस्था को हो रही हानि को रोकने के लिए सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा अन्तर्गत पेयजल योजना की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा अन्तर्गत आपदाग्रस्त भानी–हरिसिंगियाबगड़ मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40–41
नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं...	41
दून चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर के निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में याचिका	41
चकराता रोड चौड़ीकरण के कार्य में देरी के सम्बन्ध में याचिका	42
राजपुर रोड विधान सभा के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में याचिका	42
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	42

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिए ऐसी नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि औद्यानिकी उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सकें तथा पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बनें, विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	43
राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिए ऐसी नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें, विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	43
सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि "गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान" की भाँति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाये। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए "गंगा विकास प्राधिकरण" की भाँति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय, विषयक संकल्प (चर्चा जारी) ...	43–44
प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय, विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	44
राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय, विषयक संकल्प (चर्चा जारी) ...	44

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय, के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर (चर्चा जारी)	44
उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय, के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर (चर्चा जारी) ...	45
इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन (यू०ए०स्टेट ब्रान्च) उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013, पर शासन के समक्ष प्रस्तुत सुझाव पर अभी तक समस्या के निदान के लिए कार्रवाई न होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी)	45
विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाये, के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी)	45
जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा कराया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी) ...	45
प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनाई जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी)	45
उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुए कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी)	46

विषय	पृष्ठ संख्या
विकास की मूलभूत इकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन तथा राज्य सरकार द्वारा जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी)	46
महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू–उपयोगों में मनमाने परिवर्तन के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी) ...	46
उत्तराखण्ड राज्य में ''इको सेंसिटिव जोन'' को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाय के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत (चर्चा जारी)	46
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	46–47
जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के शिवालिक नगर में वर्ष 2012 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त एस व टी0 कलस्टर सड़क का पुनर्निर्माण न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आदेश चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य... ...	47
जनपद देहरादून में ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आवागमन में तीर्थयात्रियों व स्थानीय जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य	48
गैरसैंण में आहूत तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन	48–49
सदन को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने का प्रस्ताव ...	50
राष्ट्रगान	50
नत्थियाँ	51–132

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
3. श्री आदेश चौहान
4. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
5. श्री उमेश शर्मा (काऊ)
6. श्री गणेश गोदियाल
7. श्री गणेश जोशी
8. श्री चन्दन राम दास
9. श्री चन्द्र शेखर
10. डा0 जीतराम
11. श्री तीरथ सिंह
12. श्री दलीप सिंह रावत
13. श्री दान सिंह भण्डारी
14. श्री दिनेश अग्रवाल
15. श्री दिनेश धनै
16. श्री नवप्रभात
17. श्री नारायणराम आर्य
18. श्री पुष्कर सिंह धामी
19. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
20. श्री प्रीतम सिंह
21. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
22. श्री फुरकान अहमद
23. श्री बंशीधर भगत
24. श्री भीमलाल आर्य
25. श्री मदन कौशिक
26. श्री मदन सिंह बिष्ट
27. श्री मनोज तिवारी
28. श्री मयूख सिंह
29. श्री महावीर सिंह
30. श्री माल चन्द
31. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
32. श्री यतीश्वरानन्द
33. श्री यशपाल आर्य
34. श्री राजकुमार
35. श्री राजकुमार ठुकराल
36. श्री ललित फर्स्वाण
37. श्री विक्रम सिंह नेगी
38. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
39. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
40. श्रीमती शैलारानी रावत
41. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
42. श्री संजय गुप्ता
43. श्री सरवत करीम अन्सारी
44. श्रीमती सरिता आर्या
45. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
46. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
47. डॉ0 हरक सिंह रावत
48. श्री हरबन्स कपूर
49. श्री हरिदास
50. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
51. श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनाँक 11 जून, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, गैरसैंण में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा हल्द्वानी एसिड हमले को नियम–310 में उठाये जाने का प्रयास

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है। कल भी हमने दी थी, आज भी दी है। इस पर 310 में चर्चा करा ली जाए।

नेता प्रतिपक्ष *(श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक सूचना नियम–310 में दी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद नियम–58 में सुन ली जाएगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 में सुनने में क्या दिक्कत है? मान्यवर, यह 310 का नियम क्यों बना है? एसिड का हमला हो गया है। हल्द्वानी में 19 बच्चे घायल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी–ख, तारांकित प्रश्न संख्या–2,

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायतों के नॉमिनेशन आप कैंसिल करवा रहे हैं। दबाव में सरकार कैंसिल करा रही है। जो भू माफियाओं से सम्बद्ध अधिकारी हैं, वह उच्च पदों पर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न संख्या–2, माननीय नवप्रभात जी, माननीय वन मंत्री जी। (व्यवधान)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, शराब के कारण यह सारी बातें हो रही हैं, इसलिए हमारा निवेदन है कि गैरसैंण से आप कोई मैसेज दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको प्रश्नकाल के बाद केवल नियम–58 में सुना जाएगा। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर आपकी मंशा सदन चलवाने की है। अगर यह ड्रामा नहीं है तो हमारी बात को स्वीकार करिए। जैसे सब नियम तोड़कर आज यहाँ हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं पीठ से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मंशा हाउस चलाने की है तो आप चलाएं, वरना ड्रामा बन्द करें। अगर सरकार को ही चलाना है तो हमारा कोई सहयोग नहीं है। आइन्दा आप अकेले चला लें। अकेले बैठें, अध्यक्ष पीठ पर बैठें, मुख्यमंत्री बैठें, ट्रेजरी बैंच बैठे, जैसे कल चलाया तीन घण्टे, चला लें अगर लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है तो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी जो 310 की सूचना है, उसको 58 में प्रश्नकाल के बाद सुन लिया जाएगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो आपने कल भी कहा था। तो फिर क्या यहाँ पर चलाना, यह नाटक है या ये ढोंग है, ये क्या है? फिर यह नियम क्यों बनाया है? यह नियम बना क्यों है 310 का, अगर यह इमीडिएट नहीं है। करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, माफिया के हाथों में इस प्रदेश को देने का प्रबन्ध कर दिया है। जो माफिया हैं, उनके हाथ में यह प्रदेश जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कोई चीज नोट न की जाय। (व्यवधान) नत्थी–ख तारांकित प्रश्न संख्या–2, माननीय वन मंत्री जी।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यगण 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सदन की कार्यवाही 11:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या फैसला बदल लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खुद सदन को चलाने की जो नियमावली है, उससे भिज्ञ हैं और मेरा यह कहना है कि प्रतिपक्ष की ओर से जो नियम–310 की सूचना प्राप्त हुई है, अगर उसे 58 में परिवर्तित करने हेतु, माननीय नेता प्रतिपक्ष और उनके साथी मानते हैं तो सरकार उसका पूरा जवाब देगी क्योंकि नियम–310 बहुत ही विशेष परिस्थितियों में लिया जा सकता है। आज तक सदन की कोई ऐसी परिपाटी नहीं रही है, कोई परम्परा नहीं रही है कि हम हर मुद्दे पर नियम–310 पर सदन को स्थगित करें और उस पर चर्चा करायें। हमारे नेता प्रतिपक्ष को स्वयं यह मालूम है, जब हमने दैवीय आपदा के मुद्दे को नियम–310 में ग्राह्यता पर सुनने के लिये स्वीकार किया था, सारे विपक्ष ने मेरे केबिन में आकर अनुरोध किया था और मैंने इस शर्त पर कि भविष्य के लिए परम्परा नहीं बनेगी और मैं सदन के दूसरे साथियों से भी पूछ लेता हूँ और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी स्वयं स्वीकार किया था कि इसको हम परम्परा नहीं बनने देंगे। दैवीय आपदा के मुद्दे पर मैं समझता हूँ कि पूरा सदन एकमत था, चर्चा चाहता था, लेकिन मुझे आज इस सदन को विधिवत् चलाने के लिये पूरे सदन का विश्वास चाहिये, सभी लोगों की सहमति चाहिये। इसलिये मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि जो उन्होंने नियम–310 की सूचना दी है, उस सूचना को नियम–58 में परिवर्तित करके, ग्राह्यता पर बोलें, सदन को चलने दें और सरकार से भी जो जवाब वह मांगें, वह सरकार देने को तैयार रहे, यह अनुरोध मैं नेता प्रतिपक्ष जी से करना चाहता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपकी किसी बात को टाला नहीं है, जब अति हो गई थी कल, अति यह हो गई थी कि हमारा बजट तो पास हो गया, करा दिया। यह आपकी ड्यूटी भी थी और आपका नैतिक कर्तव्य भी था कि अव्यवस्थित सदन में आपने पास करवाया। जब सदन अव्यवस्थित हो गया था तो नियम यह कहता है कि जब पूरा बिजनेस हो गया हो तो आपको उठ जाना चाहिये था। आपने नेता सदन को मौका दे दिया और वह बोलने लग गये और आप बैठे रहे, तो हमको भी यह लगा कि जिनको निष्पक्षता बरतनी चाहिये थी, वह हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन जब नेता सदन उठ रहे हैं, क्यों कि पावर बहुत है नेता सदन को

सदन के बाहर, लेकिन इसके अन्दर हमको बराबरी का अधिकार होता है। बाहर ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में है, झूठे मुकदमे करवा दें, फंसवा दें लोगों को। पंचायत में जैसे आजकल कैंसिलेशन हो रहा है, सीधे फोन जा रहे हैं, अधिकारियों को डराया जा रहा है, यह पाप का घड़ा तो फूटेगा, इसको तो छोड़ दीजिये। बाहर बहुत पावर हो सकती है, लेकिन सदन के अन्तर्गत हमारी किसी पावर में हम किसी तरह की कटौती नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं और हम पर पूरे प्रदेश की जनता ने बहुत विश्वास किया है इसलिये यह नियम–310 का नियम क्यों बनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, कभी ऐसा होता है, माफिया के चंगुल में यह प्रदेश जा रहा है। जब इस स्कीम को तोड़ा गया था, हम उत्तर प्रदेश में थे, माननीय नित्यानन्द स्वामी का आज मैं इस सदन में विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ। उन्होंने इसको तोड़ने में बड़ी राहत दी और उस समय मैं आबकारी मंत्री था। इतने दबाइश हमारे ऊपर माफिया के आये थे, कितनी हत्यायें उस समय होती थीं, माताओं–बहनों के बलात्कार होते थे। और किसी ने शराब माफिया के खिलाफ बोल दिया तो उठाकर ले जाते थे और तो और पूरी पुलिस नतमस्तक रहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन नतमस्तक रहता था।

आई0जी0, डी0आई0जी. सीधे फोन करते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, यह स्थिति थी। उसको तोड़ा हमने और आज फिर माफिया के हाथ में एक एफएलटू देने की बात आई है, उसके हाथ में यह मामला जा रहा है और आचार संहिता के समय यह आदेश किया गया। आदेश नहीं किया ऐसा कहा गया और जब हमने सूचना के अधिकार में लिया तो हस्ताक्षरों से आदेश पाया गया। इससे बड़ा और क्या मामला हो सकता है। इस प्रदेश में, जहां हम राजधानी में बैठे हुये हैं, यहां का भला करने के लिए बैठे हैं, यहां पर लुटाने और माफिया को सौंपने के लिये नहीं बैठे हैं।

इसलिये मैं नियम–310 के लिये पुनः अर्ज कर रहा हूँ, ताकि सारा सदन इसमें भाग ले और सत्ता पक्ष की भी अपनी मर्जी है, चाहे नेता सदन अकेले बोल लें, चाहे तो पूरा सदन बोले, लेकिन हमारे सारे सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं, इससे सरकार गिरने वाली नहीं है, सरकार को आंच आने वाली नहीं है। हम कहीं नहीं चाहते कि सरकार को आंच आये, इसलिये मैंने जो पहली बार कहा था कि नियम न बने, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है आज, यह इतनी बड़ी आपदा है कि आज घर से भी बाहर निकलना मुश्किल कर देगी, इसलिये मेरा पुनः निवेदन है कि इसे आप नियम–310 में स्वीकार करें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री *(श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से पीठ पर भी आरोप लगाने का प्रयास किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सदन की एक परम्परा है, अगर नेता सदन खड़े होकर कहते हैं कि मुझे एक शब्द कहना है, अब क्या शब्द कहेंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिये उनको समय देना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि नेता प्रतिपक्ष भी उठकर कहते हैं और वह खड़े भी हो जाते हैं, (व्यवधान) उनको भी समय देना पड़ता है। (व्यवधान) ऐसा कभी नहीं हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जब खड़े हुये हों, उनको बोलने का समय नहीं दिया हो। लेकिन इतना जरूर है कि जब नेता सदन बोल रहे थे, उनकी बात जब समझ में आने लगी, उसके बाद मैंने स्वयं ही हाउस को स्थगित किया। लेकिन मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हम एक निष्पक्ष तरीके से सदन को चलाने की कोशिश करते हैं और सबसे अधिक महत्व किसी को मिलता है तो वह नेता प्रतिपक्ष को मिलता है, उनकी बात को मिलता है और उनके सदस्यों को मिलता है।

इसलिये मैं नेता प्रतिपक्ष जी से फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि नियम–58 भी किन्हीं कारणों से बना होगा। उसका क्या कारण है, क्यों बना है, उसे अच्छी तरह से नेता प्रतिपक्ष जानते हैं और नियम–310, जब हमारे सदन की पूरी कार्यवाही पूरी हो गई, कोई कार्यवाही हमारी स्थगित नहीं होने जा रही है, उसके बाद भी नियम–310 पर अड़े रहें तो मैं समझता हूँ कि उससे हमको क्या हासिल होगा, यह सदन के सदस्यों को मालूम होना चाहिये, जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये। नियम–58 में भी जो जवाब नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं, उन सारे बिन्दुओं पर जवाब सरकार देगी और जो सदस्य उसमें बोलना चाहते हैं, मैं तो यहां तक भी शिथिल कर देना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोग बोलें, सत्ता पक्ष के लोग भी बोलें, मैं उनको छूट देना चाहता हूँ, चाहे मुझे सदन कल के लिये भी चलाना पड़े। लेकिन यह भावना न जाये कि पीठ से कोई पक्षपात हुआ है। मैं चाहता हूँ कि खुली बहस हो जो सरकार ने कोई निर्णय किया है, उस पर खुली बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस 58 के नियम के अन्तर्गत होगी ये मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब सारी बातें आप मान रहे हैं, सब कुछ वैसा ही कर दूँगा कह रहे हैं तो नियम–310 नहीं करने की क्या बात है, यह बात नहीं समझ में आ रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, नियम–310 की एक परम्परा पड़ जायेगी। कोई भी सदस्य किसी भी बात को लेकर नियम–310 की सूचना ले आएंगे और अड़ जाएंगे कि हमको नियम–310 में जवाब चाहिए, इसको स्वीकार करिये नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। यह परम्परा भविष्य के लिए भी नुकसानदायी होगी इसलिए उस परम्परा को मैं नहीं पड़ने देना चाहता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इतनी बड़ी गैरसैंण में हम एक नयी परम्परा डाल रहे हैं, अधिसूचना हमने गैरसैंण की करायी है, पहाड़ों की हम सब बात कर रहे हैं, पहाड़ों की उन्नति की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम विकास की बात कर रहे हैं, उत्तराखण्ड को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखण्ड तो एक मिनट में नीचे चला गया दो–तीन महीने में ही। आप नियम–310 क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विनम्रतापूर्वक जब आप वैसा ही कह रहे हैं कि मैं विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे अनुरोध है, आप बहुत अच्छे संसदीय ज्ञाता हो, सब कुछ जानते हो। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ जो जवाब आप नियम–310 में चाह रहे हैं, वो नियम–58 में क्यों नहीं आप स्वीकार कर रहे हैं। जवाब वही आयेगा, जो नियम–310 में आयेगा वही नियम–58 में भी आयेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्पष्ट बता दिया नियम–310 की परम्परा सदन को चलाने के लिए हमेशा नुकसानदायक रहेगी, हमेशा उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। कोई भी सदस्य नियम–310 की सूचना ले करके आयेगा। आज तक यह परम्परा नहीं पड़ी है। मुझे भी इस सदन में 12–13 साल हो गये हैं। इन 12–13 सालों में केवल एक बार नियम–310 की सूचना ग्राह्यता पर सुनने के लिए इस सदन में स्वीकार हुई है इसके अलावा कहीं नहीं हुआ, वो भी दैवीय आपदा के लिए हुई है। कैसे भी बहुत गम्भीर मुद्दे आये होंगे, गम्भीर विषय आये होंगे, लेकिन उस पर कभी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि गैरसैंण की भावना को समझ करके एक ही संदेश अन्तिम समय पर हम यहाँ से दे सकें, इसको मानते हुए सदन को चलने दें और नियम–58 में मैं इस सूचना को स्वीकार करता हूँ और इस पर चर्चा हो जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

अगर माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 में वही बात होनी है, वही उत्तर आना है, वही मुझे बोलना है तो नियम–310 और नियम–58 खाली मुँह से बोलने में क्या दिक्कत है, मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पूरी बात अपनी रख दी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने ये कहा है..... (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमको मंजूर नहीं है, हमको नियम–58 में मंजूर नहीं है, क्योंकि नियम–58 में जो है, टैक्निकली जो है उसमें पूरा सदन भाग नहीं ले सकता है, नियम–310 में पूरा सदन भाग लेता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पीठ से एक निर्देश चला गया है। पूरा सदन उसमें भाग लेगा, ये मैंने निर्णय कर दिया है। उसके बाद भी यदि आप नियम–58 में नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी मंशा पर (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ? मैं यही तो कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हम नियम–310 की सूचना को परम्परा नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तो ठीक है आपकी व्यवस्था अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। हम विपक्ष के लोग हैं। हम उस पर जो तथ्य ला सकते हैं नियम–310 में ही ला सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से मैं अनुरोध करती हूँ कि पीठ के निर्देश का आदर करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने कभी पीठ का निरादर नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ हमने पीठ का कभी निरादर नहीं किया। पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए। उसकी भूमिका पिता की तरह से होती है। मैंने पहले भी कहा। अगर हमको थोड़ी सी भी बात ऐसी लगती है कि पक्षपात हो रहा है, इसे आप पीठ पर आक्षेप कहें, चाहे कुछ भी कहें। मैं हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से कहूँगी कि वो पीठ को आरोपित न करें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*राजस्व, सिंचाई एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अजय भट्ट जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने पीठ पर आक्षेप लगाया है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। आप स्वयं भिज्ञ हैं, आपको पूरा संसदीय ज्ञान है। कई वर्षों से आप विधान सभा के सदस्य हैं, लेकिन आज जिस तरह से आपने पीठ पर आक्षेप लगाये, आरोप लगाये हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह बिलकुल ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन इसकी भर्त्सना करेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं जिस दिन आरोप लगाऊँगा, यह मेरे को पावर है, मैं पीठ के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊँगा, यह मेरे को पावर है, हमारे विपक्ष को पावर है। आरोप जिस दिन लगाएंगे, खुलकर लगाएंगे और मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी सदस्यता खत्म करना चाहें तो कर दें, यह पावर है आपको। अगर यहाँ के, ये उत्तराखण्ड के हित में आप यहाँ नया इतिहास बनाने जा रहे हैं, उस इतिहास में आप नियम–310 खत्म नहीं करना चाहते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) बड़ी–बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ और बातों पर अमल नहीं हो रहा है। अगर आपको यह पावर है आप सदस्यता खत्म कर दें मुझे परवाह नहीं है। ऐसे प्रदेश में और ऐसे सदन के समक्ष जो हमारी बातों को तवज्जो नहीं मिलती है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक निवेदन मैं पूरे सदन से, माननीय सदस्यों से करना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष से भी, नेता सदन से भी, संसदीय कार्य मंत्री से भी और जो हमारे सभी माननीय सदस्य हैं, अगर पूरा सदन यह स्वीकार करता है कि नियम–310 की सूचना स्वीकार की जाय। (घोर व्यवधान के मध्य कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ ना कहा गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो सत्ता पक्ष का मतलब ही नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो नियमावली है, जो कार्य संचालन नियमावली है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आपका विनिश्चय सुस्पष्ट और सुनिश्चित है। यह ऐसा विषय नहीं है कि नियम–310 के अन्तर्गत उठाया जाए और उसके अन्तर्गत स्वीकार किया जाए।

श्री अजय भट्ट–

यह तो हमारा राइट है, यह राइट हमारा है, यह हमारा अधिकार है मान्यवर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा यह अनुरोध है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष को नियम–310 की सूचना प्यारी है या जो गड़बड़ी आबकारी में हुई है, उसका उत्तर वो चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 में बेहतर उत्तर आता है, नियम–310 की बात अलग है, नियम–310 के मायने अलग हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–58 में पूरी बात हमने मान ली है कि पूरी चर्चा उसमें करेंगे तो उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि नियम–310 में अड़े रहना, ये नियमों के विरुद्ध है और मैं समझता हूँ जो निर्णय पीठ से आया है, उसकी अवमानना है।

श्री अजय भट्ट–

मैं माननीय अध्यक्ष जी से फिर कहना चाहता हूँ कि पीठ की कोई अवमानना नहीं है, अवमानना के लिए कोई दण्डित करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। (किसी माननीय सदस्य के कुछ बोलने पर) मुझे बोलने दो प्लीज। ये सत्ता पक्ष का नियम–310 नहीं होता है जो आपने सदन से पूछा मान्यवर, और पीठ पर हमने कोई (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

वो मैं जानता हूँ भट्ट जी, मैंने भी नियमावली पढ़ी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तो अगर आप जानते हैं तो फिर सत्ता पक्ष से क्यों पूछ रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह भविष्य के लिए परम्परा न बन पाये, इसके लिए मैंने पूछा सदन से। आपने दैवीय आपदा के समय जो दबाव मुझ पर बनाया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने दबाव नहीं बनाया। उस समय आपने बड़ी–बड़ी बातें बोलीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

और ये कहा था कि भविष्य के लिए इसको परम्परा नहीं बनने देंगे, उस परम्परा को आज आप तोड़ने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये दो प्रकार की बातें उचित नहीं हैं।

श्री अजय भट्ट–

वो दबाव नहीं था। क्या आप इस प्रदेश के नहीं हैं मान्यवर ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने किस बात के लिए दबाव बनाया था कि हम इसको भविष्य में परम्परा नहीं बनने देंगे और उस परम्परा को आज आप तोड़ने जा रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 नियमानुसार वो थी ही नहीं उस बार भी, वो आपने चर्चा में ले ली थी। (घोर व्यवधान) सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो नियम–310 के अलावा और क्या हो सकता है। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, हमारे अधिकारों की रक्षा भी तो कीजिए। प्रश्नकाल तो नेता प्रतिपक्ष समाप्त किये दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपने पीठ से निर्देश दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि वो पीठ के निर्देश का आदर करें और कार्यवाही शुरू हो। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इस विषय का इस तरह से महत्व नहीं है। नियम–310 का प्रयोग आरोप लगाने के लिए नहीं किया जाता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्नकाल विपक्ष का होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने पहले कहा आप संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं और मेरा निवेदन यह भी है कि पीठ से कोई विनिश्चय दे दिया, उस पर फिर सदन में तर्क–वितर्क नहीं किया जाता है।

श्री अजय भट्ट–

तो मान्यवर, हम अपनी बात पर अडिग हैं, आपको जो चाहिए वो कर लें आप, लास्ट में हमने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

स्थगित तारांकित प्रश्न

*1–श्री नवप्रभात–

पुनः स्थगित।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री नवप्रभात–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में वर्ष 2007 से 2013 तक वृक्षारोपण कार्य का विवरण

*2–श्री नवप्रभात–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 के बीच 25370 लाख रुपया नये वृक्षारोपण पर व्यय किया गया तथा इस व्यय से 87561 है0 भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है ?

नोट:– उत्तराखण्ड की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2006 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

यदि हाँ, तो इस निवेश में कुल कितने वृक्ष रोपित किये गये तथा प्रतिवर्ष किये वृक्षारोपण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण क्या है ?

वन, वन्य जीव एवं खेल मंत्री (दिनेश अग्रवाल)–

जी हाँ।

उपरोक्त निवेश में निम्न विवरण अनुसार पौधे रोपित किये गये हैं :–

वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या (लाखों में)
2007–08	296.28
2008–09	245.95
2009–10	216.87
2010–11	94.01
2011–12	197.39
2012–13	152.10
योग	1202.6

किये गये वृक्षारोपण में सम्मिलित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल है0
2007–08	1757.98
2008–09	681.6
2009–10	163.2
2010–11	0
2011–12	2036.74
2012–13	813.33
योग	5452.88

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना

*3—श्री नवप्रभात—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्वैच्छिक चकबन्दी की योजना लागू करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इस नीति के मुख्य बिन्दु क्या है ?

राजस्व, सिंचाई एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री यशपाल आर्य)—

जी हाँ,

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बीफ, खरसाली (जिला उत्तरकाशी) तथा लखौली (जिला पौड़ी गढ़वाल) में स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। † जिसमें इन ग्रामों में चकबन्दी का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय ग्रामों में चकबन्दी के लिए अलग से विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग में पर्वतीय ग्रामों में चकबन्दी के सम्बन्ध में तथा आवश्यकता नीति/प्रक्रिया आदि के निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

अल्मोड़ा जनपद के राजकीय पॉलीटेक्निक सल्ट में वर्ष 2006 से आई0टी0 एवं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पठन—पाठन कार्य का विवरण

*4—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय पॉलीटैक्निक सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2006 से आई0टी0 एवं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये थे ?

यदि हाँ, तो क्या इन विषयों में पठन—पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन्हें संचालित करने हेतु कितने पदों की स्वीकृति दी गई है और कब से ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सल्ट पॉलीटेक्निक की ही तरह प्रदेश के अन्य पॉलीटेक्निकों में भी नए विषयों और उनके संचालन हेतु पदों की स्वीकृति दी गई है तथा क्या उनमें पठन—पाठन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है ?

---

† (देखिए नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ संख्या 51 से 61 पर)

श्री यशपाल आर्य--

जी हाँ।

राजकीय पॉलीटैक्निक, सल्ट में वर्तमान तक आई0टी0 एवं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित नहीं है।

वर्ष 2006 से शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 08 पदों को सृजित किया गया था। वर्ष 2010 में प्रदेश के पॉलीटैक्निक संस्थानों में पदों को सुव्यवस्थीकरण किये जाने के उपरान्त रा0पा0 सल्ट के आई0टी0 एवं सी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 05 पद सृजित हैं।

रा0पा0 सल्ट की भाँति रा0पा0 नई टिहरी में इलेक्ट्रोनिक्स पाठ्यक्रम स्वीकृत किया गया है, लेकिन संचालित नहीं है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-39/XLI-1/2013-2/13 दिनांक 16-09-2013 द्वारा रा0पा0 मुनाकोट, काण्डा, टनकपुर, गैरसैंण, क्वांसी, बाजपुर, गजा, प्रतापनगर, कपकोट, हिण्डोलाखाल, दन्या, पीरूमदारा, कुलसारी, भलस्वागाज, जाखणीधार संस्थाओं हेतु दो-दो पाठ्यक्रम वर्ष 2013-14 में संचालन हेतु स्वीकृत किये गये हैं, परन्तु उक्त संस्थाओं में एक-एक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों पर झीलों का निर्माण

*5--श्री मालचन्द

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में जहाँ अतिवृष्टि से सिंचाई नहरों के हैड लगातार हर वर्ष बहते टूटते रहते हैं, जिससे कई जगहों पर सिंचाई नहरों के हैड बनने मुश्किल होते जा रहे हैं, जिससे सिंचाई से समस्त काश्तकारों को वंचित रहना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी जहाँ, प्राकृतिक स्रोत हैं, उन जगहों पर झीलों का निर्माण करायेंगे जिससे काश्तकारों की सिंचाई समस्या पूरी हो सके ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य--

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई खण्ड पुरोला के अन्तर्गत कुल 140 नहरें हैं। 107 नहरों के हैड विभागीय संसाधनों से ठीक कर नहरों

को अस्थाई व्यवस्था से चलाया गया है। 33 नहरों के हैड जिला योजना 2013–14 में स्वीकृत हैं, जिसके अनुसार 14 नहरों के हैड ठीक कर नहरों को चला दिया गया है। शेष 19 नहरों के हैड के कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें शीघ्र ठीक कर नहरों को चलाया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में झील निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधान सभा क्षेत्र की विधायक निधि की कार्य योजनाओं का विवरण

*6–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र की विधायक निधि के जिन कार्य योजनाओं का भुगतान वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 से आज समय तक पूर्ण नहीं किया गया है उनका योजनावार विवरण क्या है तथा भुगतान न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार शीघ्र भुगतान की कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र की विधायक निधि के जिन कार्य योजनाओं का भुगतान वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 से आज तक का पूर्ण नहीं किया गया है, का योजनावार विवरण संलग्न है। † इन योजनाओं में अवशेष धनराशि भुगतान न होने का कारण सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से द्वितीय किश्त का प्रस्ताव प्राप्त न होना है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ संख्या 62 से 90 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा भुवानी में लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई

*7—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा भुवानी में लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई हो रही है ?

यदि हाँ, तो कुल कितने हैक्टेयर जमीन में ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

जी हाँ।

1421 फसली में खरीफ 4.074 हैक्टेयर तथा रबी में 6.025 हैक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

1—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

स्थगित अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून की रुद्रपुर (विकास खण्ड विकासनगर) लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा लाभान्वित किसानों की संख्या तथा वसूली गई आबपासी

1—श्री नवप्रभात—

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 2013 के प्रथम बुधवार हेतु अता0 05 के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की रुद्रपुर (विकास खण्ड विकासनगर) लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा सिंचित 30 है0 कमाण्ड एरिया में कितने कृषक लाभान्वित हो रहे हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 30 है0 क्षेत्र की सिंचाई के लिए विभाग को वर्ष में कितनी आबपासी प्राप्त होनी चाहिए तथा योजना के निर्माण से अभी तक वसूल की गयी आबपासी का विवरण क्या है ?

श्री यशपाल आर्य--

लगभग 35 कृषक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

विभाग को गन्ना तथा गेहूं व धान की फसल बोये जाने पर वर्ष में अनुमानित 24,600.00 की आबपासी प्राप्त होने की सम्भावना रहती है, परन्तु योजना निर्माण के पश्चात् ग्राम उपभोक्ता समूह को दिनांक 29-12-2012 में हस्तगत करा दी गयी है। योजना का परिचालन एवं आबपासी की वसूली समिति द्वारा स्वयं की जा रही है। समिति के अनुसार जनवरी, 2013 से दिनांक 29-05-2014 तक 6990.00 आबपासी वसूल की गयी है।

जनपद देहरादून में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में मनरेगा के अन्तर्गत योजनाएं

2-श्री नवप्रभात--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में कितनी योजनायें स्वीकृत की गयी हैं ?

क्या मंत्री जी उक्त योजनाओं के विकास खण्डवार, ग्राम सभावार विवरण से अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह--

मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में जनपद देहरादून में कुल 9873 योजनायें स्वीकृत की गयी हैं।

उक्त योजनाओं का विकासखण्डवार/ग्राम सभावार विवरण संलग्न है। †

जनपद बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत गैस वितरण केन्द्र की सुविधा

3-श्री ललित फर्स्वाण--

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत मल्हरगाड़ी घाटी, नामतीचेटाबगड़ में गैस वितरण केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कब तक गैस वितरण केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों .

---

† (देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ संख्या 91 से 103 पर)

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

वर्तमान में जिला पिथौरागढ़ के तेजम नामक स्थान से महरगाड़ी घाटी, नामतीचेटाबगड़ में गैस-वितरण करवाया जा रहा है।

गैस वितरण केन्द्र की व्यवस्था इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा की जाती है। उक्त स्थानों पर गैस वितरण केन्द्र खोले जाने हेतु इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से अनुरोध किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

4–श्री नवप्रभात–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से सम्बन्धित विवरण

5–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 31 दिसम्बर, 2013 को जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारक परिवारों का ग्राम सभावार विवरण क्या है तथा इस योजना के अन्तर्गत इन ग्राम सभाओं को वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ग्राम सभा वार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक उपरोक्त ग्राम सभाओं में लाभार्थियों को सौ–सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का विवरण क्या है?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद देहरादून में मनरेगा योजना वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ की गयी है। जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में मनरेगा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक जॉब कार्ड धारक परिवारों का ग्राम सभावार विवरण एवं इन ग्राम सभाओं को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण संलग्न है। †

उक्त ग्राम सभाओं के लाभार्थियों को सौ–सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का विवरण संलग्न है।

---

† (देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ संख्या 104 से 106 पर)

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला अन्तर्गत पूर्व निर्मित मोटर मार्गों का जीर्णोद्धार करना

6–श्री मालचन्द–

"क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला के अन्तर्गत जनमोली–नौरी–कालसीधार–ब्याली–खिमोत्रा–सर बडियार जाने वाले पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का सरकार जीर्णोद्धार करेगी?

यदि हाँ, तो उपरोक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण करने पर सरकार विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ, योजना आयोग, भारत सरकार के आदेश सं0–44 (21)PFI/2013-1773 दि0 28 मार्च, 2014 द्वारा नौरी गांव–कलसीधार किमोत्रा वन मोटर मार्ग हेतु विशेष आयोजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (S.P.A.-Reconstruction) के अन्तर्गत रु0 275.00 लाख (रु0 दो सौ पिचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इस मार्ग का जीर्णोद्धार वन मोटर मार्ग के रूप में किया जाना स्वीकृत है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला के गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पैदल मार्ग एवं रज्जु मार्ग की स्वीकृति

7–श्री मालचन्द–

"क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत अब तक कितने पैदल मार्ग एवं रज्जु मार्ग स्वीकृत किये गये हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन–किन रज्जु मार्गों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितनी धनराशि अवमुक्त हो गयी है और शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जनपद उत्तरकाशी के गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में विभिन्न योजनाओं में कुल 86 विभिन्न पैदल मार्ग/अश्व मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य एवं वर्ष 2013–14 में विभिन्न योजनाओं में कुल 132 विभिन्न पैदल मार्ग/अश्व मार्गों का निर्माण/मरम्मत स्वीकृत किये गये हैं।

वन विभाग द्वारा किसी भी रज्जु मार्ग हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वन प्रभाग द्वारा पूर्व की भाँति स्थानीय निवासियों के हक–हकूक बहाल करने पर सरकार का विचार

8–श्री मालचन्द–

"क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के टौन्स वन प्रभाग पुरोला, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के द्वारा पूर्व की भाँति स्थानीय निवासियों के हक–हकूक बहाल करने पर सरकार विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

प्रश्नगत क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के हक–हकूक पूर्व से ही बहाल हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

9–श्री नव प्रभात–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत लांघा–मटोगी मोटर मार्ग की लम्बाई एवं डामरीकरण

10–श्री नव प्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून विकास खण्ड विकासनगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत "लांघा–मटोगी मोटर मार्ग" की कुल लम्बाई कितनी है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सड़क के कितने किलोमीटर का डामरीकरण किया जा चुका है ?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत "लाखा–मटोगी मोटर मार्ग" की कुल लम्बाई 15.90 किमी0 है।

वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पर 5.00 किमी0 लम्बाई तक डामरीकरण का कार्य किया जा चुका है।

प्रदेश में बैम्बू मिशन के अन्तर्गत प्राप्त संसाधन

11–श्री नव प्रभात–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बैम्बू मिशन लागू है?

यदि हाँ, तो इस मिशन के अन्तर्गत गत 07 वित्तीय वर्षों में प्रतिवर्ष राज्य को कितने संसाधन प्राप्त हुए?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन प्राप्त संसाधनों के उपयोग एवं बांस से आच्छादित की गयी भूमि का विवरण क्या है तथा बांस कितने वर्ष में विदोहन के लिए तैयार हो जाता है और बांस विदोहन से प्राप्त आय का विवरण क्या है?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ,

वार्षिक कार्य योजना	प्राप्त संसाधन (रु0 लाखों में)
2007–08	387.00
2008–09	285.47
2009–10	79.50
2010–11	220.00
2011–12	190.00
2012–13	77.00
2013–14	86.79
कुल	1325.76

बम्बू मिशन संसाधनों का उपयोग पौधशाला, रोपण सामग्री, कल्चरल आप्रेशन, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, कीटाणु प्रबन्धन, लघु सिंचाई, उपचार संयंत्र, अनुश्रवण, मेला प्रतिभाग, रिटेल शोरूम एवं कनसलटैन्सी में कुल योग 1325.76 लाख किया गया।

वार्षिक कार्ययोजना	वन क्षेत्र (हे0)	गैर वन क्षेत्र (हे0)
2007–08	2194	100
2008–09	—	—
2009–10	500	250
2010–11	710	250
2011–12	300	150
2012–13	350	188
2013–14	80	120
कुल	4134	1058
महायोग	5192	

सामान्यतः उर्वरा, सिंचित एवं अच्छी प्रकार की देखरेख होने पर बांस का पौधा सात से आठ वर्ष में प्रथम फसल देने लायक होता है।

उपरोक्त संसाधनों से रोपित बांस से अभी कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

12—श्री नवप्रभात—

द्वितीय शुक्रवार के अता0—01 में स्थानान्तरित।

उत्तराखण्ड राज्य गठन उपरान्त जंगली जानवरों द्वारा मानवों की मृत्यु एवं घायलों की स्थिति

13—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद से वर्तमान तक प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए हैं ?

क्या मंत्री जी उनको मुआवजे का भी विधानसभावार विवरण देंगे ?

यदि हाँ, तो कितना—कितना और कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण से वर्तमान तक जंगली जानवरों के हमलों के कारण कुल 345 लोगों की मृत्यु हुई है तथा 878 लोग घायल हुए हैं।

विभिन्न विधान सभाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप विधान सभावार सूचना संधारित नहीं है, सूचना विधान सभावार संकलित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इको सेंसेटिव जोन की घोषणा पर विचार

14–श्री नवप्रभात–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 'इको सेंसेटिव जोन' घोषणा करने का विषय विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

प्रदेश के विकास एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस विषय में क्या नीति निर्धारित की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

भागीरथी नदी के 135 किमी० लम्बाई के जलागम क्षेत्र, लगभग 4179 है० क्षेत्रफल को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–S.O.-2930(E) दिनांक 18–12–2012 द्वारा इको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है, जिसका राज्य सरकार द्वारा विरोध करते हुए निरस्त या प्रदेश के विकास एवं आर्थिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से भारत सरकार से राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त यथोचित संशोधन का अनुरोध किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़कों का जनपदवार विवरण

15–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का जनपदवार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ऐसी सड़कों का जनपदवार विवरण भी बतायेंगे जिनकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परन्तु उनका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है ?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का जनपदवार विवरण संलग्न है।

इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ऐसी सड़कों जिनकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, का जनपदवार विवरण संलग्न है। †

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों का जनपदवार विवरण

16–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों का जनपदवार विवरण क्या है तथा उनकी आगणित लागत क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से वन अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों का जनपदवार विवरण संलग्न है।

विवरण संलग्न है। †

जनपद देहरादून के ग्राम खेड़ा पछवा लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण में व्यय तथा पृथ्वीपुर जंगल के बीच निर्मित दीवार का सदुपयोग

17–श्री नवप्रभात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में ग्राम खेड़ा पछवा लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इस योजना का निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा कर लिया गया ?

---

† (देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ संख्या–107 पर)

† (देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ संख्या–108 पर)

क्या इस योजना के अन्तर्गत ग्राम खेड़ा पछवा से पृथ्वीपुर जंगल के बीच एक पत्थर की दीवार का निर्माण भी किया गया था ?

यदि हाँ, तो दीवार की लम्बाई–चौड़ाई तथा ऊँचाई कितनी निर्मित की गयी?

तथा इस दीवार के बनाने में क्या लागत आयी और सिंचाई योजना में इस दीवार का क्या सदुपयोग है ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद देहरादून के ग्राम खेड़ा पछवा लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण में धनराशि ` 65.61 लाख व्यय की गयी तथा इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2010–11 में पूर्ण कर लिया गया है।

जी हाँ।

दीवार की लम्बाई, चौड़ाई तथा औसतन ऊँचाई निम्नवत् है :–

1. 83.00x1.20x1.28 मीटर
2. 35.00x1.20x0.75 मीटर
3. 60.00x1.20x0.43 मीटर
4. 67.00x1.20x0.30 मीटर

दीवार के निर्माण की लागत 3.48 लाख आयी है। इस दीवार के ऊपर खुली नहर का निर्माण प्रस्तावित था, परन्तु क्षेत्रीय काश्तकारों / निवासियों के प्रबल विरोध के कारण नहर के स्थान पर पाइप लाइन से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है। दीवार का भविष्य में वैकल्पिक गूल के निर्माण हेतु उपयोग किया जा सकता है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामासिराई में धान की सिंचाई हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना

18–श्री मालचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत रामासिराई में काश्तकारों की नगदी फसलों व लाल धान हेतु सिंचाई सुविधा के अभाव में धान की रोपाई व नगदी फसलों का कार्य समय पर नहीं हो पाता है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी रामासिराई के लिए बड़ियार गाड़ से लिफ्ट सिंचाई योजना के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला में रामासिराई क्षेत्र में कुल 21 सिंचाई नहरें निर्मित हैं, जो गत वर्ष दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थीं, जिन्हें अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय सीमित संसाधनों द्वारा सिंचाई हेतु चलाया जा रहा है। स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत 66.00 लाख की धनाराशि की माँग जिलाधिकारी से की गयी है।

स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बडियार गाड में लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु पर्याप्त जल निस्सरण उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत उक्त योजना बनाया जाना व्यवहारिक नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा अन्तर्गत कमल नदी का सौन्दर्यीकरण

19–श्री मालचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमल नदी के सौन्दर्यीकरण के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया और इसका कार्य कहाँ से कहाँ तक किया जायेगा।

क्या सरकार द्वारा सौन्दर्यीकरण का ब्लू प्रिन्ट तैयार किया गया ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में कमल नदी के सौन्दर्यीकरण के लिए सम्प्रति कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में बाढ़ सुरक्षा कार्यों को ही प्राथमिकता दी जा रही है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत कमल नदी हेतु स्वीकृत कार्य छोटे–2 टुकड़ों में कराना

20–श्री मालचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के कमल नदी हेतु स्वीकृत धनराशि द्वारा कार्य छोटे–छोटे टुकड़ों में कराया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के कमल नदी हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यों को कार्यस्थल की स्थिति के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के द्वारा निर्धारित नियमों/अनुबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा।

जून माह के अन्त तक कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत कमल नदी पर स्वीकृत धनराशि और कार्य

21–श्री मालचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमल नदी पर कितनी धनराशि किस कार्य के लिए स्वीकृत है, इस कार्य के क्रियान्वयन का प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमल नदी पर गुंदियाट गाँव से सुनानी नदी तक बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु धनराशि 809.65 लाख की योजना विशेष आयोजनागत सहायता (पुनर्निर्माण) मद के अन्तर्गत स्वीकृत है। योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। निविदायें स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत जंगली जानवरों से घायल एवं अपंग मानवों को मुआवजे का मानक

22–श्री मालचन्द–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत हर वर्ष भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मानव जाति पर हमला किये जाने से घायल व अपंग होने पर मुआवजे की राशि तुरन्त नहीं दी जाती है ?

जानवरों द्वारा हमला करने पर कितनी धनराशि दी जाती है ?

क्या मंत्री जी इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना होने पर मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 के नियम–8(1) में निम्नानुसार अनुग्रह धनराशि की दरें निर्धारित हैं :–

क्षति का प्रकार	अनुग्रह राशि हेतु दर (रु0 में)
साधारण रूप से घायल	15,000/–
गम्भीर रूप से घायल	50,000/–
आंशिक रूप से अपंग	1,00,000/–
पूर्ण रूप से अपंग	2,00,000/–
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	3,00,000/–

जी नहीं।

दिसम्बर, 2012 में प्रख्यापित मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में अनुग्रह राशि हेतु दरें निर्धारित की गयी हैं। दरें पुनरीक्षित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत जंगली सूअरों से फसल की रोकथाम

23–श्री मालचन्द–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्र पुरोला, नौगाँव, मोरी के काश्तकारों की नगदी फसलें मुख्य आजीविका हैं जिसको जंगली सूअरों द्वारा तहस–नहस किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा नाम से एक नई योजना लागू की गयी है, का शासनादेश सं0 722–X–2–2014–21(15)/2014 दिनांक 05 मार्च, 2014 की प्रति संलग्न है। †

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेतों के कटाव की रोकथाम

24–श्री मालचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में अतिवृष्टि से पुरोला विधान सभा क्षेत्र के कमल नदी/बिगराड़ी खड्ड/कोटला कुड खड्ड/मालगाड खड्ड/बाया खड्ड/गडुगाड खड्ड/फटेवा खड्ड/बडियार खड्ड/रतियाड गाड़ आदि में खेतों के कटाव की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु कमल नदी पर गुन्दियाटगाँव से सुनाली तक की लागत 809.65 लाख की योजना

---

† (देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ संख्या–109–111 पर)

अनुमोदित हो गयी है। इसके अतिरिक्त कमल नदी पर ही ब्यौरा से पुरोला तक एवं छड़ा खड्ड की; कुमोला खड्ड एवं मालगाड़, पुरानी पी0डब्ल्यू0डी0 कालोनी से सुनाराछानी तक की 03 बाढ़ सुरक्षा योजनायें भी गठित की गई हैं। शेष खड्डों की बाढ़ सुरक्षा योजनाओं हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। उपादेय होने पर योजना गठित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में स्वीकृत 'लांघा–मटोगी मोटर मार्ग' के निर्माण की अद्यतन स्थिति

25–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रथम सत्र 2004 के द्वितीय बुधवार के तारांकित 14 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत "लांघा–मटोगी मोटर मार्ग" के अनुबन्ध के अनुसार डामरीकरण कार्य 11–06–2014 तक पूर्ण किया जाना है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामवासियों द्वारा निर्माण में लापरवाही की कोई शिकायत की गई ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा प्रकरण में क्या कार्रवाई की गयी तथा मार्ग निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है और निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

शिकायत के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं ठेकेदारों को निर्देशित कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। मार्ग पर जी0एस0बी0 एवं जी–3 का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं पी0सी0 का कार्य 5.00 किमी0 लम्बाई में किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य दिनांक 31–10–2014 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद देहरादून के वित्तीय वर्ष 2012–2013 में स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का विधान सभावार तथा प्रदेश में वर्ष 2013–14 में स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का जनपदवार विवरण

26–श्री नवप्रभात–

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित 19 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के वित्तीय वर्ष 2012–13 में कितनी बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत की गयी थी तथा इन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का विधान सभा सभावार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उनकी कुल लागत क्या है तथा इन स्वीकृत योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद देहरादून के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 15 बाढ़ सुरक्षा योजनाएं लागत 2803.30 लाख की स्वीकृति की गई, जिनका विधानसभावार विवरण संलग्न–01 के अनुसार है। †

वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रदेश के अन्तर्गत 69 बाढ़ सुरक्षा योजनाएं लागत 86171.90 लाख की स्वीकृति की गई, जिनका विवरण संलग्न–2 के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 के बीच वन पंचायतों को उपलब्ध कराई गई धनराशि से किये गये वृक्षारोपण का विवरण

27–श्री नवप्रभात–

प्रथम सत्र 2013 के अल्पसूचित प्रश्न के क्रम में क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 के बीच वन पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि 4564.5 लाख से कुल कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया?

क्या इन वृक्षारोपण में राज्य की वृक्षारोपण नीति का पालन सुनिश्चित किया गया ?

यदि हाँ, तो क्या वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये गये पौधों की सफलता प्रतिशत का स्थलीय निरीक्षण कराया गया ?

---

† (देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ संख्या–112 से 120 पर)

यदि हाँ, तो इस वृक्षारोपण का प्रजातिवार विवरण तथा इस अवधि में 1256.00 लाख के प्रयोग का मदवार विवरण क्या है ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

29523.77 है0।

जी हाँ।

जी हाँ। इसके अतिरिक्त बाह्य संस्थाओं के माध्यम से भी वृक्षारोपण सत्यापित किया जाता है।

जी हाँ।

सूचना संकलित की जा रही है।

28–श्री नवप्रभात–

द्वितीय बुधवार के अता0–01 में स्थाना0।

प्रदेश में जनपदवार तहसील एवं विकास खण्डों का विवरण

29–श्री नवप्रभात–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में तहसीलों का जनपदवार विवरण क्या है तथा तहसीलों का विधान सभावार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों का विवरण क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

राज्यान्तर्गत समस्त तहसीलों के जनपदवार, विधानसभावार तथा विभिन्न जिलों व विधान सभा क्षेत्रों में तहसील तथा विकासखण्डों का विवरण संलग्न है। †

सदन की कार्यवाही 12:20 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हम अपनी बात पर कायम हैं, मुझे लगता है कि कोई राय मशविरा करके आपने स्वीकृति दे दी होगी और स्वीकार कर लिया गया होगा। उत्तराखण्ड की जनभावनाओं के अनुरूप आपने स्वीकृति दी होगी, मुझे ऐसा जरूर लग रहा है। नेता सदन ने कल यहाँ पर एक बार कहा था कि यह सुनने में आ रहा है कि मैं नियम–310 में बोलने के लिए तैयार हूँ और मैं समझता हूँ कि आप इसमें हमको स्वीकृति दे रहे होंगे।

† (देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ संख्या 121 से 132 पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, नियम–310 की सूचना नियम–58 में सुन ली जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम इस पर कतई राजी नहीं हैं। (घोर व्यवधान)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री चन्दन राम दास, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द, श्री आदेश चौहान, श्री दिलीप रावत, श्री बंशीधर भगत, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री ललित फर्स्वाण की कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चूँकि आज सत्र का अन्तिम दिन है इसलिए मैं आज इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

प्रदेश में मनरेगा ग्राम रोजगार सेवकों को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

[मान्यवर, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2007 से लगातार ''ग्राम रोजगार सेवक'' नियमित रूप से अपनी सेवा सम्बन्धित विभाग को प्रदान करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक लगभग सात वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इनको सेवायोजित नहीं किया गया है, जिससे इनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

सम्पूर्ण प्रदेश में 825 ग्राम रोजगार सेवक लगातार अपनी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं। जनहित में इनको विभागीय सेवायोजन से लाभांवित किया जाना आवश्यक है। अतः मैं इस लोकहित के मुद्दे पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर आवश्यक कार्यवाई की माँग करता हूँ]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सल्ट विधान सभा क्षेत्र में मसाला इकाई के बन्द होने से जनता में भारी निराशा और रोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड परिसर भिकियासैंण में तीन वर्ष पूर्व डी०आर०डी०ए० के आर्थिक सहयोग से प्रारम्भ हुए मसाला प्रसंस्करण इकाई जिससे सल्ट, स्याल्दे व भिकियासैंण तीनों विकास खण्डों के काश्तकारों को जहाँ उचित मूल्य मिलना था, वहीं तीनों विकास खण्डों के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बनी रामगंगा फेडरेशन प्रशिक्षण के साथ ही विपणन के माध्यम से रोजगार भी प्रदान करती परन्तु विभाग की गलत नीतियों व अनदेखी के कारण मसाला इकाई बन्द पड़ी है, जिससे एक ओर जहाँ आधुनिक तकनीक की लाखों रुपये की मशीनें जंग खा रही हैं, वहीं काश्तकारों के साथ ही स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार उत्पन्न करने की योजना भी समाप्त हो गयी है और क्षेत्र का एक मात्र मसाला उद्योग जन्म लेते ही मृतप्राय हो गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह विकास खण्ड होने के साथ ही क्षेत्र की ककलासों पट्टी, स्याल्दे, देघाट, लखौराघाटी, सल्ट, तल्ला सल्ट, मानिला, सराईखेत आदि क्षेत्र मिर्च, धनिया, हल्दी व अदरक उत्पादन में भी अग्रणी होने के बावजूद इस मसाला इकाई के बन्द होने से जनता में भारी निराशा और रोष व्याप्त है, जो कभी भी एक बड़े आन्दोलन का कारण बन सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर नियम–300 के अन्तर्गत चर्चा की मांग करता हूँ।]

भीमताल विधान सभा क्षेत्र के किसानों के फल–फूल और सब्जी में ओलावृष्टि से हो रही क्षति पर सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिये जाने से क्षेत्र की जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा भीमताल जो फल–फूल एवं साग–सब्जी उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है, जिससे जहाँ बड़े भू–भाग में रोजगार का सृजन होता है, वहीं प्रदेश व देश भर में फल–फूल एवं सब्जी की आपूर्ति भी होती है। यही यहाँ के लोगों

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। लेकिन इस वर्ष ठीक फूल आते ही अतिवृष्टि एवं ओले गिरने से इनमें भारी नुकसान हो गया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गयी है। सरकार द्वारा कोई मुआवजा आदि न दिये जाने से लोगों में भारी असंतोष व्याप्त हो रहा है, जो किसी बड़े आन्दोलन का कारण बन सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की तात्कालिक सूचना पर सरकार एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

रुद्रपुर विधान सभा के आन्तरिक मार्गों में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार ठुकराल–

[मान्यवर, 66–रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़क सम्पर्क मार्गों का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है, ग्राम रतनपुरा नवाबगंज मार्ग से भाखड़ा नदी तक दो कि0मी0, 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम शिवपुर तक दो कि0मी0, 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग से मोहनपुर नं0 1 होते हुए दिनेशपुर मार्ग तक 1.5 कि0मी0, ग्राम अमरपुर से अर्जुनपुर ग्राम होते हुये ग्राम बसन्तीपुर तक तीन कि0मी0, जाफरपुर मार्ग से ग्राम अमरपुर तक मार्ग निर्माण एक कि0मी0, ग्राम मोहनपुर नं0 दो से ग्राम खानपुर नं0 दो होते हुये दिनेशपुर–जाफरपुर मार्ग तक तीन कि0मी0, दिनेशपुर–जाफरपुर मार्ग से ग्राम विजयनगर तक दो कि0मी0, 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम तिलपुरी तक दो कि0मी0, ग्राम लंगड़ाभोज में खजूर के पेड़ से लेकर बुक्सा जनजाति के गांव से निकलती हुई मुकन्दपुर गुरूद्वारे से होते हुये चौधरी देवेन्द्र सिंह के घर तक एक कि0मी0, ग्राम बिन्दुखेड़ा के आन्तरिक मार्गों में एक कि0मी0 सड़क सम्पर्क मार्ग, ग्राम अमरपुर से ग्राम बिन्दुखेड़ा तक सड़क व पुल निर्माण, ग्राम कीरतपुर से ग्राम बागवाला तक सड़क सम्पर्क मार्ग निर्माण, दिनेशपुर–जाफरपुर मार्ग स्थित ग्राम हरिदासपुर से बसन्तीपुर तक सड़क सम्पर्क मार्ग, ग्राम हरिदासपुर–बसन्तीपुर मार्ग से ग्राम विजयनगर तक सड़क सम्पर्क मार्ग निर्माण, रुद्रपुर नगर में वार्ड नं0 तीन संजयनगर से गंगापुर रोड स्थित जेसीज पब्लिक स्कूल तक सड़क निर्माण, 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित महतोष मोड से ग्राम नबाबगंज गुरूद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक सड़क का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण, ग्राम रतनपुरा में 500 मीटर सड़क सम्पर्क मार्ग का निर्माण, 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित तरीन पानी शुक्ला फार्म से साम उद्योग, उत्तर प्रदेश की सीमा तक सड़क, ग्राम सभा जगतपुरा पार्ट की शान्ति विहार कालोनी में रेलवे पटरी से शान्ति विहार कालोनी के आन्तरिक मार्गों तक एक कि0मी0 सड़क, 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित महतोष मोड़ से ग्राम पिपलिया नं0 1, पिपलिया नं0 दो, बरीराई, तिलपुरी, केवलगंज होते हुये गदरपुर–दिनेशपुर मार्ग तक सड़क निर्माण।

उक्त सड़क मार्गों की दयनीय स्थिति होने से इस अति लोकमहत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उपरोक्त सड़क मार्गों की स्वीकृति की मांग करता हूँ।]

खटीमा विधान सभा क्षेत्र बरसात में जलमग्न हो जाने से जनजीवन की परेशानी का समाधान न होने से जनता में भारी रोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्कर सिंह धामी–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा खटीमा शहर के साथ ही मेरी विधान सभा के सम्पूर्ण क्षेत्र में बरसात के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, इस कारण सभी क्षेत्रीय जनता का जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है, इस भारी परेशानी का कोई समाधान न हो पाने के कारण जनता में भारी रोष है और वह कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये खटीमा विधान सभा में जल निकास हेतु नाली निर्माण तटबन्ध बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में विगत 2006 से सरयू नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण न होने से जनता में भारी रोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

[महोदय, बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में विगत 2006 से सरयू नदी में सूरज कुण्ड के पास एक पुल स्वीकृत है। जिसके निर्माण की कार्यवाही बहुत लम्बे समय से नहीं हो पायी है, इसी प्रकार गोमती में थकलाड़ से पास पुल स्वीकृत है परन्तु

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद भी विभाग द्वारा अवगत कराया जाता है कि इस्टीमेट द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु शासन में है। शासन से सम्पर्क करने पर ज्ञात होता है कि रेट बढ़ने से पुनरीक्षित दरों पर आगणन मंगाये गये हैं। इतने लम्बे समय से पुलों के निर्माण की कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता आक्रोशित व आन्दोलित है।

अतः इस तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये दोनों पुलों के लिये धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध करता हूँ।]

ऋषिकेश विधान सभा अन्तर्गत गोहरी–माफी ग्राम सभा में बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में गोहरी–माफी ग्राम सभा सौंग नदी व गंगा नदी से घिरी है, जिसमें हर वर्षा के दौरान भयंकर पानी आता है, जिससे ग्रामीणों के खेत, मकानों को भारी क्षति होती है व कभी भी गांव बहने का खतरा बना रहता है। बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।]

मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़ीकैंट में डिग्री कॉलेज खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गणेश जोशी–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में यह लाना जरूरी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड की उच्च शिक्षा का संज्ञान लेते हुए शासन एवं विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की है कि उच्च शिक्षा की स्थिति को मानकों के अनुसार तत्काल ठीक करें। जिसके लिए उत्तराखण्ड शासन ने एक शपथ–पत्र उच्च न्यायालय में दिया है कि शीघ्र ही 11 डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र के गढ़ीकैंट में डिग्री कॉलेज की नितान्त आवश्यकता है। यहां की छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु डी0ए0वी0 कॉलेज, देहरादून जाना पड़ता है। जिसकी छात्र संख्या 30,000 है। डी0ए0वी0 में छात्र संख्या और बढ़ने की सम्भावना है। जिससे एक ओर छात्रों के बैठने की समस्या है एवं दूसरी ओर शिक्षा की

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के गोर्खा मिलिट्री इण्टर कॉलेज में जो कि बीजापुर गेस्ट हाउस के निकट है, पर्याप्त स्थान है। यहां पर डिग्री कॉलेज बनने से जहाँ कैण्ट क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, वहीं सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को भी एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में संविदा पर कार्यरत् आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी का मानदेय पिछले चार वर्षों में भी न बढ़ाया जाना उनके साथ अन्याय है। जबकि एलोपैथिक संविदा चिकित्सकों को अधिक मानदेय दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मांग है कि उनका मानदेय भी अन्य चिकित्सकों के समान किया जाय।

यह चिकित्सक प्रदेश के दुर्गम स्थानों पर कार्यरत हैं। प्रदेश में पटरी से उतर चुकी चिकित्सा व्यवस्था को इन चिकित्सकों ने काफी हद तक संभाल रखा है।

विषय अविलम्बनीय, तात्कालिक और लोकमहत्व का है। अतः सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण की जनता को पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यतीश्वरानन्द–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार (ग्रामीण) के इब्राहीमपुर, इक्कड़, जट बहादरपुर, टिकोला, रानीमाजरा, भोगपुर, मीठीबेरी, चमरिया, नया गांव, श्यामपुर, गैण्डीखाता आदि गांवों में पीने के पानी की समस्या गम्भीर बनी हुई है। लोगों को घण्टों मेहनत कर पीने का पानी लाना पड़ता है तथा कई बार पीने के पानी पर झगड़े भी हो जाते हैं। यदि इन गांवों में सरकार पर्याप्त नलकूपों को लगवा दे तो ग्रामीण अपना समय आर्थिक उन्नति में लगायेंगे तथा उनकी एक मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं सरकार से उपरोक्त गांवों में अधिक से अधिक संख्या में नलकूप लगवाने हेतु धन अवमुक्त करने की माँग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद के गांव सुल्तानपुर मजरी में हनुमान मन्दिर के पास अवैध रूप से खुली अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आदेश चौहान–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादराबाद के गाँव सुल्तानपुर मजरी में नेत्र के बैरियर नं0–6 के पास स्थित श्री हनुमान मन्दिर के बिलकुल बराबर में अंग्रेजी शराब की दुकान अवैध रूप से खोल दी गई है। जबकि उक्त दुकान शिवालिक नगर के नाम से आवंटित है, मन्दिर के बराबर में शराब की दुकान खोले जाने से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। उक्त शराब की दुकान को हटाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए प्रभावी कार्यवाई की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा अधूरे छोड़े गये निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दलीप रावत–

[मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा कई निर्माण कार्य किये गये हैं, परन्तु उक्त निर्माण एजेन्सी द्वारा कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया है। कई पटवारी चौकियाँ, विद्यालय, अस्पताल इनके द्वारा अधूरे छोड़े गये हैं। उदाहरण के लिए रा0उ0मा0वि0 गड़िया, मा0रा0ई0 कॉलेज, शालगढ़ी (रिखणीखाल) रा0इ0का0 कल्पी, रा0इ0कॉलेज, बैंजरो (बीरोखाल) आदि कई वर्षों से अधूरे पड़े हैं, परन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के ऊपर शासन द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई और न ही उक्त निर्माण कार्य करवाया गया, जिस कारण छात्रों को पढ़ाई के लिए स्थान नहीं है, दूसरी ओर सरकार की करोड़ों की सम्पत्ति बर्बाद हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड के जंगलों में भीषण आग से अर्थव्यवस्था को हो रही हानि को रोकने के लिए नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बंशीधर भगत–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड के जंगलों में भीषण आग से पर्यावरण, जानवरों, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को जो हानि हो रही है सरकार उसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम–300 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।]

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा अन्तर्गत पेयजल योजना की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिरकुच तथा कटयानी के लिए वर्ष 1997 में पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। जगह–जगह पेयजल योजना ध्वस्त होने के कारण ग्राम पंचायत सिरकुच में समस्या बनी हुई है। क्षेत्रीय जनता पेयजल के लिए आन्दोलन करती आ रही है। सिरकुच पेयजल समस्या को लेकर लोक सभा चुनाव का बहिष्कार किया गया था।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।]

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा अन्तर्गत आपदाग्रस्त भानी–हरिसिंगियाबगड़ मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ललित फर्स्वाण–

[मान्यवर, जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट में भानी–हरिसिंगियाबगड़ में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत मोटर मार्ग पिछले वर्ष आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुका है। विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि उक्त सड़क ए0डी0बी0 के अन्तर्गत डामरीकरण के लिए स्वीकृत है और ए0डी0बी0 को ही उक्त सड़क स्थानान्तरित हो चुकी है, इस सम्बन्ध में ए0डी0बी0 के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के लिए दैवीय आपदा मद से कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ है जो एक गम्भीर विषय है। महोदय, विषय जनहित

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व आपदाग्रस्त क्षेत्र से जुड़ा है। जिसमें मोटर मार्ग का निर्माण कार्य होना नितांत आवश्यक है। ए0डी0बी0 व लो0नि0वि0 के विवाद के कारण उक्त आपदाग्रस्त मोटर मार्ग के लिए कलमठ व पुलिया के निर्माण न होने के कारण यातायात सुविधा बन्द पड़ी है। क्षेत्र के लोगों में सरकार के प्रति गहरा जनाक्रोश पनप रहा है।

अतः मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना "प्रदेश में आबकारी नीति में शराब की थोक बिक्री में परिवर्तन के कारण माफियाराज बढ़ने की सम्भावना" के सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री आदेश चौहान, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास तथा श्री दान सिंह भण्डारी एवं दूसरी सूचना "प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राजनीतिक दबाव के चलते विभिन्न पदों पर नामांकन पत्रों को बिना कारण बताए निरस्त कर दिये जाने" के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी, श्री हरबंस कपूर, श्री मदन कौशिक, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री प्रेम चन्द अग्रवाल की प्राप्त हुई है। मैं इनमें से श्री अजय भट्ट तथा अन्य माननीय सदस्यों की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 और मद संख्या–4 में कुछ नहीं है। मैं मद संख्या–5 ले रहा हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

दून चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में याचिका

*श्री राजकुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "दून चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में" श्री नरेश थापा पुत्र श्री हेम थापा, निवासी चन्दर रोड, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चकराता रोड चौड़ीकरण के कार्य में देरी के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजकुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "चकराता रोड चौड़ीकरण के कार्य में देरी के सम्बन्ध में" श्री अशोक श्रीवास्तव पुत्र श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव, निवासी घोसी गली, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राजपुर रोड विधान सभा के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजकुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "राजपुर रोड विधान सभा के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में" श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी संजय कॉलोनी, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8, मद संख्या–9 तथा मद संख्या–10 में कुछ नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत (1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास, श्री दान सिंह भण्डारी, (2) श्री राजकुमार ठुकराल, (3) श्री गणेश जोशी, (4) श्री बंशीधर भगत, (5) श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, (6) श्री आदेश चौहान, (7) श्री यतीश्वरानन्द, (8) श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा (9) श्री चन्दन राम दास की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास तथा श्री दान सिंह भण्डारी, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री बंशीधर भगत, श्री यतीश्वरानन्द तथा चन्दन राम दास की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूँगा, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट एवं अन्य तथा माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री बंशीधर भगत, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री चन्दन राम दास जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना सदन में उपस्थित नहीं की।)

राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिए ऐसी नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि औद्योगिकी उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सकें अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बनें विषयक संकल्प (चर्चा जारी)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिए ऐसी नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें, विषयक संकल्प (चर्चा जारी)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि "गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान" की भाँति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाये। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए "गंगा विकास प्राधिकरण" की भाँति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय, विषयक संकल्प (चर्चा जारी)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह "सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान" की भाँति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाये। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए "गंगा विकास प्राधिकरण" की भाँति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री भीम लाल आर्य जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय विषयक संकल्प (चर्चा जारी)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय, विषयक संकल्प (चर्चा जारी)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय, के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय, के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इण्डियन मेडिकल ऐसोसियेशन (यू0ए0स्टेट ब्रान्च) उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013, पर शासन के समक्ष प्रस्तुत सुझाव पर अभी तक समस्या के निदान के लिए कार्रवाई न होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा कराया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माणकार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनाई जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुए कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

विकास की मूलभूत इकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन तथा राज्य सरकार द्वारा जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तार्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू–उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी में नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में "इको सेंसिटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाय के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री आदेश चौहान, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री चन्द्रशेखर, श्री चन्दन राम दास, श्री यतीश्वरानन्द, श्री ललित फर्स्वाण तथा श्री सरवत करीम अन्सारी की कुल 9

सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण की सूचना जो कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत सिमगढ़ी में निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग की सड़क से सिंचाई विभाग की क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री सरवत करीम अन्सारी की सूचना जो कि उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में निरीक्षक के पद पर तैनात कार्मिक पर जाँच में गबन एवं सरकारी अभिलेखों में कूट रचना की पुष्टि होने के उपरान्त भी विधिक कार्यवाई नहीं किये जाने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के शिवालिक नगर में वर्ष 2012 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई एस0 व टी0 कलस्टर सड़क का पुनर्निर्माण न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आदेश चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य

आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

[यह कार्य दैवीय आपदा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत था, जिसके पुनर्निर्माण का कार्य मै0 कसाना कंसट्रक्शन कम्पनी को अनुबन्ध संख्या 23/अधि0अधि0/दिनांक 25–7–2013 द्वारा सौंपा गया था। यह कार्य ठेकेदार को दिनांक 25–7–2013 को प्रारम्भ कर दिनांक 24–11–2013 तक पूर्ण कराना था। उक्त के परिपालन में ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर लगभग आधा कार्य पूर्ण कर दिया गया था, दुर्भाग्य से इसी दौरान ठेकेदार का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण पुनर्निर्माण कार्य बीच में ही अवरुद्ध हो गया। वर्तमान में ठेकेदार का स्वास्थ्य ठीक हो गया है और उनके द्वारा कार्य को पुनः शुरू कराने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य मानसून से पहले ही लगभग 15 दिन के अन्दर दिनांक 25–6–2014 तक पूरा करा लिया जायेगा। इस क्रम में ठेकेदार द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आश्वस्त कराया गया है। यदि ठेकेदार द्वारा आश्वासन के बावजूद भी कार्य एक सप्ताह के अन्दर प्रारम्भ नहीं कराया जाता है, तो ठेकेदार पर अर्थदण्ड लगाते हुए उनका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और कार्य अन्य माध्यम से दिनांक 25–6–2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। इस आशय का नोटिस ठेकेदार को पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आवागमन में तीर्थयात्रियों व स्थानीय जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

पर्यटन मंत्री (श्री दिनेश धनै)–

[पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 में केन्द्रीय वित्त पोषित हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनिकीरेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट योजना पर स्वीकृति प्राप्त की गई। जिसके अन्तर्गत रु0 927.58 लाख की लागत से ऋषिकेश में टूरिस्ट बस ट्रांजिस्ट कम्पाउण्ड के विकास का कार्य (40000 वर्ग मीटर एरिया) का निर्माण कार्य कराया गया। जिससे लगभग 1100 छोटे व बड़े वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा उक्त टूरिस्ट बस ट्रांजिस्ट कम्पाउण्ड में चारधाम में जाने वाले वाहनों के लिए अस्थाई संचालन की व्यवस्था भी की गई है। उक्त पार्किंग स्थल को आई0एस0बी0टी0 के रूप में संचालित किया जा रहा है।]

गैरसैंण में आहूत तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

श्री अध्यक्ष–

उत्तराखण्ड की जनभावना के अनुरूप गैरसैंण में आहूत तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे अत्यन्त न्यून अवस्थापना सुविधाओं में सम्पन्न कराये गये सत्र में उपस्थित हुए तथा सभी कष्टों के बावजूद अपना अहम योगदान दिया। माननीय नेता सदन जिनका यह विचार कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का स्थल पर अनुभव करते हुए चर्चा कर निराकरण करना था तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने इतने कम समय में अपने सभी सदस्यों के साथ गैरसैंण पहुँचकर सत्र में प्रतिभाग कर सहयोग प्रदान किया। मैं गैरसैंण की जनता को ह्रदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सदन आहूत होने से हो रही असुविधाओं को सहर्ष स्वीकार करते हुए, सुविधाओं में कटौती कर उन्होंने हमें पेयजल, विद्युत आदि अपनी सुविधाएं सहर्ष उपलब्ध करायी तथा बड़े उत्साह के साथ अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ गैरसैंण नगर पालिका के

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें सदन संचालित किये जाने में सहयोग प्रदान किया। अत्यन्त असुविधाओं के साथ गैरसैंण में उपस्थित होकर सदन को संचालित किये जाने में उत्साहपूर्वक सहर्ष सहयोग प्रदान करने के लिए शासन के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में उपस्थित रहने के दौरान जिन असुविधाओं को उन्होंने निकट से महसूस किया है, उनका निराकरण करने में वे और अधिक गम्भीरता व उत्साह से प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को जिन्होंने सभा मण्डप हेतु भूमि चयन, स्थल विकास, आवासीय व्यवस्था हेतु टैण्ट कॉलोनी स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया, ऐसी अनेक परेशानियों का निराकरण करने में सहयोग प्रदान किया, जिसका मैं उल्लेख समय कम होने के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ, विद्युत विभाग, पेयजल, लोक निर्माण विभाग एवं ऐसे सभी अधिकारियों का जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया तथा जिनके अथक प्रयासों से ही हम इतने कम समय में सदन को सुविधाजनक तरीके से संचालित करा सके।

धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों, पुलिस कार्मिकों तथा अग्निशमन दल के अधिकारियों एवं कार्मिकों को जिन्होंने अस्थायी व्यवस्थाओं के बावजूद रात–दिन मेहनत कर सभी तरह से सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करायी, यातायात को नियंत्रित किया तथा माननीय सदस्यों एवं स्थानीय जनता को होने वाली असुविधाओं को कम करने में अत्यधिक परिश्रम किया।

पत्रकार बन्धुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैं ह्रदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, वे गैरसैंण आये तथा असुविधाओं को दरकिनार करते हुए सदन में व्यक्त जनभावनाओं को अपने समाचार पत्रों एवं समाचार चैनलों में प्रमुख स्थान देकर जनता को यहाँ हुई कार्यवाही से अवगत कराया।

धन्यवाद देना चाहता हूँ विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को जिन्होंने इतने कम समय में नोटिस पर लगातार कार्य करते हुए सभी व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने का सराहनीय प्रयास किया। सदन को संचालित करने में 12 से 14 घण्टे तक लगातार सहर्ष कार्य किया।

एक बार पुनः मैं सभी माननीय सदस्यों का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अगली बार गैरसैंण में आहूत सत्र में और अधिक उत्साह के साथ प्रतिभाग करेंगे, धन्यवाद।

सदन को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

<u>राष्ट्र–गान</u>

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा,
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय, जय, जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चितकाल के लिए।

(सदन का उपवेशन 12 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।)

गैरसैंण, जगदीश चन्द्र,

दिनांक 11 जून, 2014 सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न–03 पीछे पृष्ठ संख्या–13 पर)

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–2

संख्या 2609/XVIII(II)/2013–7(01)/2011

देहरादून: दिनांक 20 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

बिखरी हुई कृषि जोतों को एकत्र कर चकबन्दी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाये जा सकते हैं किन्तु अभी तक राज्य में इस क्षेत्र में आशा के अनुरूप उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में चकबन्दी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा विचार–विमर्श किया गया। मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त इस विषय के विधिक, वित्तीय, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियाँ दिये जाने हेतु मा0 मंत्रिमण्डल की उप समिति का निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. मा0 वित्त मंत्री जी	–	अध्यक्ष
2. मा0 राजस्व मंत्री	–	सदस्य
3. मा0 कृषि मंत्री	–	सदस्य
4. मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	–	सदस्य
5. मा0 नियोजन मंत्री	–	सदस्य
6. सचिव, राजस्व विभाग	–	सदस्य सचिव।

उक्त समिति विषय के सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करने हेतु अधिकृत होगी। समिति के सदस्य सचिव द्वारा समिति की संस्तुतियाँ शीघ्रातिशीघ्र मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0–2609/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौढ़ी, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
भास्करानन्द,
सचिव।

क्रम संख्या–115

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 13 जून, 2012 ई०
ज्येष्ठ 23, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 179/XXXVI(3)/2012/40(1)/2012
देहरादून, 13 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012" पर दिनांक 11 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड की अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2012

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2012)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार स्वैच्छिक चकबन्दी के लिए निर्गत अधिसूचना के अधीन पर्वतीय तहसीलों के राजस्व ग्रामों में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 161 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–161 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक निम्नवत् और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात :–

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 53–क के अधीन ऐसे राजस्व ग्रामों में जहाँ स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना निर्गत की गयी है, पर प्रथम परन्तुक के उपबन्ध ऐसी अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

अजय चौधरी,

अपर सचिव।

No. 179/XXXVI(3)/2014/40(1)/2012

Dated Dehradun, June 13, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "The Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 10 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 June 2012.

The Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2012'

(Uttarakhand Act No. 10 of 2012)

An

Act

To amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reform (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be extend to the hilly tehsils Under the issued notification for the voluntary consolidation.

(3) It shall be come into force at once.

Amendment of section 161

2. After proviso of sub-section (1) of section 161 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand), a new proviso shall be added as follows; namely:-

Provided further that in such revenue villages where the notificaion is issued under section 4 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act 1953, the provisions of first proviso shall not be applicable till three years from the commencement of such notification of section 53-A of the said Act."

By Order,

AJAY CHAUDHARY,

Additional Secretary.

राजस्व अनुभाग–2

संख्या 1015/18(2)/2011

देहरादून: दिनांक 30 जून, 2011

विज्ञप्ति

प्रकीर्ण

चूँकि, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1954) (समय–समय पर यथासंशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 53–क के अधीन ग्राम लखोली, तहसील चौबट्टा खाल, जनपद गढ़वाल द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी योजना तैयार करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है एवं जिलाधिकारी, गढ़वाल ने उक्त ग्राम में स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने के लिए अपनी संस्तुति अपने पत्र सं0–1401/7–भू–लेख (2010–11) दिनांक 25–4–2011 द्वारा की है,

और, चूँकि राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त योजना उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप है और ऐसा करना लोक हित में है;

अतएव, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह आदेश देते हैं कि जनपद गढ़वाल, तहसील चौबट्टा खाल के ग्राम लखोली में इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तारीख से स्वैच्छिक चकबन्दी क्रियाएँ आरम्भ करायी जाएं।

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की, जनपद हरिद्वार को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित विज्ञप्ति की अंग्रेजी व हिन्दी की 25–25 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन व जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को भेजने हेतु प्रेषित।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. चकबन्दी संचालक/मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला उप संचालक चकबन्दी/जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संतोष बडोनी,
अनुसचिव।

भाग–1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व अनुभाग

विज्ञप्ति

प्रकीर्ण

15 मई, 2007 ई0

संख्या 199/18(1)/2007–चूँकि, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 1954) (समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 53 (क) के अधीन ग्राम बीफ एवं ग्राम खरसाली, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी योजना तैयार करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया एवं जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने अपनी संस्तुति स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने के लिए अपने पत्र संख्या 268/सात–मूलेख–एम0बी0/2004, दिनांक 8 नवम्बर, 2006 को की है;

और, चूँकि राज्य सरकार इस हेतु सहमत है कि लोकहित में यह समीचीन है कि जनपद उत्तरकाशी, तहसील बड़कोट (जमींदारी विनाश रहित क्षेत्र को छोड़कर) में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना की प्रक्रिया कराई जाय;

अतएव, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि जनपद उत्तरकाशी, तहसील बड़कोट में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से स्वैच्छिक चकबन्दी क्रियाएँ की जायेंगी।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 199/18(1)/2007, dated May 15, 2007 for general information:

MEMORANDUM

Miscellaneous

May 15, 2007

No. 199/18(1)/2007-WHEREAS the Village Bif and Village Kharsali, Tehsil Barkot, Distict Uttarkashi have passed a resolution to prepare voluntary Consolidation of Holdings Scheme Under Section 53 (a) of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 (Act No. 5 of 1954) (as amended from time to time and applicable to the State of Uttarakhand) and this Collector, Uttarkashi has recommended for the voluntary Consolidation of the holdings *vide* his leliter No. 258/VII/Bhoolekh-M.B/ 2004, dated 08 Novermber, 2006,

AND, WHEREAS, the State Government has agreed to that is expedient public interest that action may be taken on the voluntary Consolidation of holdings scheme in Tehsil Barkot District Uttarkashi (excepting the area not covered under Abolition of Zamindari)

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(a) of section 4 of the said Act, the Governor is pleased to order that the voluntary Consolidation of holdings shall be Cassied out in Tehsil Barkot District Uttarkashi with effect from the date of publication of the Memorandum in official Gazette.

by Order,

N.S. NAPALCHYAL,

Principal Secretary.

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने हेतु राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों से सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु

अपील

जनपद उत्तरकाशी के बीफ व खरसाली गाँव की स्वैच्छिक चकबन्दी को विधिक स्वरूप दिये जाने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी के महत्व, कृषि व औद्यानिकी के विकास में इसकी भूमि का तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए चकबन्दी से सम्भावित लाभों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कृषि मंत्री की अध्यक्षता में स्वैच्छिक चकबन्दी के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

ग्राम स्तर पर स्वैच्छिक चकबन्दी के प्रस्ताव को तैयार करने एवं इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जा चुकी है। राज्य सरकार इसे सुनियोजित एवं सुविचारित रूप से लागू करना चाहती है व इस कारण सभी विभागों से, संगठनों से व समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वह स्वैच्छिक चकबन्दी के सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव इस समिति को देना चाहें तो कृपा सुझाव अभिलेख एवं अन्य सामग्री आदि निम्न पतों पर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

लिफाफे के ऊपर कृपया "स्वैच्छिक चकबन्दी के सुझाव" अंकित करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत,	दिवाकर भट्ट,
कृषि मंत्री,	राजस्व मंत्री,
उत्तराखण्ड शासन।	उत्तराखण्ड शासन।

सुझाव भेजे जाने हेतु पता–

1. निजी सचिव
मा0 कृषि, पशुपालन मंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार
विधानसभा भवन,
देहरादून।

2. प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
सचिवालय,
4, सुभाष रोड, देहरादून।
पिन– 248001

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्या 3279/18(2)/2009

देहरादूनः दिनांक 13 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी किये जाने की मांग किसानों, जन प्रतिनिधियों एवं अन्य स्तरों से शासन को प्राप्त हो रही है। शासन द्वारा ग्राम बीफ व खरसाली, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी में ग्रामवासियों द्वारा किये गये स्वैच्छिक चकबन्दी के प्रयास को विधिक स्वरूप दिये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। स्वैच्छिक चकबन्दी के सम्बन्ध में अब तक विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव एवं इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि स्वैच्छिक चकबन्दी का प्रस्ताव प्रत्येक ग्राम सभा के स्तर पर तैयार किये जाने, समस्त ग्रामवासियों से इस हेतु सहभागिता प्राप्त करने एवं ग्रामवार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर प्रधान ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम स्तर पर स्वैच्छिक चकबन्दी के लिए समस्त ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त किये जाने एवं इस प्रक्रिया में ग्राम स्तर पर क्रियान्वित होने वाले सभी कार्यों के विचार व निर्णय हेतु प्रधान ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

प्रधान ग्राम पंचायत	–	पदेन अध्यक्ष
ग्राम के सरपंच	–	पदेन सदस्य
ग्राम के समस्त पंच (वार्ड मेम्बर)	–	पदेन सदस्य
ग्राम सभा के गत चुनाव में उप विजेता व्यक्ति	–	सदस्य
ग्राम सभा के अन्तर्गत गठित युवक मंगल दल से दो एवं महिला मंगल दल से दो नामित पुरुष/महिलाएं	–	सदस्य
सम्बन्धित पटवारी/लेखपाल	–	सदस्य सचिव।

आवश्यकता अनुरूप उपरोक्त समिति द्वारा ग्राम के विशेषज्ञों, प्रगतिशील कृषकों या अन्य व्यक्तियों को भी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार समिति के गठन का कार्य किये जाने एवं इसका तहसीलवार विवरण तैयार किये जाने का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा। समितियों का गठन, उन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा जिनमें चकबन्दी के सन्दर्भ में कोई मांग या कार्रवाई पूर्व में की गयी है।

इस समिति द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी के सम्बन्ध में किये जाने वाले अन्य कार्यों / दायित्वों का विवरण समय-समय पर सम्बन्धित तहसीलदार अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

सुभाष कुमार,

प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन सं० 3279 / 18(2) / 2009 तद्दिनांकित</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि इस आदेश को समस्त जिलापंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के संज्ञान में लाने हेतु कृपया उन्हें परिचालित करायें।
9. अधिशासी निदेशक, सूचना निदेशालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसका प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संतोष बडोनी,

अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन विभाग

संख्या /XXX(1)/अधि0–1/2014

देहरादून: दिनांक 04 मार्च, 2014

विज्ञप्ति

तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड शासन स्तर पर निम्नलिखित अतिरिक्त विभागों का सृजन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. सीमान्त क्षेत्र विकास विभाग।
2. पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण विभाग।
3. प्रक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन विभाग।
4. भेड़ एवं बकरी पालन विभाग।
5. ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग।
6. वर्षा जल संग्रहण विभाग।
7. पर्वतीय ग्रामों में चकबन्दी विभाग।
8. पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग।
9. तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला विभाग।
10. छात्र कल्याण विभाग।
11. राजीव गाँधी शहरी आवास विभाग।
12. चारा एवं चारागाह विकास विभाग।
13. ग्राम्य तालाब विकास विभाग।
14. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

क्रमांक 14 पर अंकित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पूर्व में सृजित पेयजल विभाग के स्थान पर सृजित किया जा रहा है।

उक्त सृजित नवीन विभागों हेतु विभागीय कोड तथा कार्य आवंटन के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सुभाष कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या 620(1)/XXXI(1)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस रुड़की।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

पी0एस0 डंगवाल।
अपर सचिव।

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 06 पीछे पृष्ठ 15 पर)

विधायक निधि योजना 2010–11 जनपद : अल्मोड़ा

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त की अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त की अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2010–11	मंगलखाल मुख्य मार्ग से भूपाल सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	0.500	0.380	0	0.1200
2.	2010–11	इकूखेत बाजार से इकूखेत मानसिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	0.500	0.380	0	0.1200
3.	2010–11	ऐराडीबिष्ट से प्रा0पा0 ऐराडी बिष्ट के रास्ते में पैरापिट निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	0.400	0.300	0	0.1000
4.	2010–11	विनौलखाल जनमिलन केन्द्र का अवशेष कार्य	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	0.500	0.380	0	0.1200
5.	2010–11	गरखानी में राजेसिंह पुत्र श्री मानसिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	0.300	0.220	0	0.800
6.	2010–11	जनता इण्टर कालेज गुजड़ी में अतिरिक्त विज्ञान भवन का पुनर्निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	5.000	3.750	0	1.2500
7.	2010–11	माटी में जनमिलन केन्द्र का निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	1.500	1.120	0	0.3800
8.	2010–11	अ0जा0 बस्ती खिलूगैर ककलगाँव में पेयजल योजना निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0वि0 स्याल्दे	1.500	1.120	0	0.3800
9.	2010–11	जी0आई0सी0 जैनापानी में क्रीड़ास्थल विस्तार कार्य	भिकियासैंण	ग्रा0वि0वि0 भिकियासैंण	1.250	0.940	0	0.3100
10.	2010–11	सौर ग्राम से प्रा0पा0 नवीन सौर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	भिकियासैंण	ग्रा0वि0वि0 भिकियासैंण	1.000	0.750	0	0.2500
11.	2010–11	कमौना मल्ली बाखली से देवी मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग	सल्ट	ग्रा0वि0वि0 सल्ट	0.500	0.380	0	0.1200
12.	2010–11	ग्राम पंचायत थॉब के इजराल बाखली में जनमिलन केन्द्र निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0वि0 सल्ट	1.500	1.120	0	0.3800
13.	2010–11	झिमार सामुदायिक भवन के कार्यालय बरामदा व सुरक्षा दीवार निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0वि0 सल्ट	3.000	2.250	0	0.7500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	2010–11	जनमिलन केन्द्र सकन्याणी की सुरक्षा दीवार निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.500	0.380	0	0.1200
15.	2010–11	गडकोट मल्ला में महिला स्नानागार निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.500	0.380	0	0.1200
16.	2010–11	जालीखान के तोक कलसीर में बौंपयाणी से सिपाणी तक पेयजल योजना	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.500	0.380	0	0.1200
17.	2010–11	सकरखोला ध्यान सिंह के घर से भैसाड़ाधार तक सम्पर्क मार्ग	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.500	0.380	0	0.1200
18.	2010–11	देवीखाल जू0हा0 के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	2.500	1.870	0	0.6300
19.	2010–11	ग्राम उभरा के अ0जा0 बस्ती तोक चिन्नहुआ में बारात घर निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.500	1.500	0	0.5000
20.	2010–11	जाखिणी नन्द राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण अ0जा0 बस्ती	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
21.	2010–11	जाखिणी खुशालराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
22.	2010–11	अ0जा0 बस्ती कालीगाँव में जनमिलन केन्द्र का निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.500	1.120	0	0.3800
23.	2010–11	अ0जा0 बस्ती जमणधार प्रा0पा0 क्षतिग्रस्त भवन का लैन्टर कार्य व विशेष मरम्मत	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	2.150	1.610	0	0.5400
24.	2010–11	पीनाकोट अ0जा0 बस्ती में जनमिलन केन्द्र का निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.500	1.120	0	0.3800
25.	2010–11	उगलिया हंसा राहि के घर से मौनली अ0जा0 बस्ती देवी राम ...... ———	भिकियासैंण	ख0वि0अ0 भिकियासैंण	0.900	0.68	0	0.2200
26.	2010–11	नगचुरा में खुशाल सिंह पुत्र आन सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
27.	2010–11	रणखुला में रेवती देवी पत्नी परमराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
28.	2010–11	अ0जा0 बस्ती मौलेख में रमेश राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
29.	2010–11	गांजर राजेसिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.300	0.220	0	0.0800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	2010–11	अ0जा0 बस्ती जोगीख्वाण अमर लाल के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.300	0.220	0	0.0800
31.	2010–11	ग्राम सभा दन्यों की अ0जा0 बस्ती बसमोत में जंगली जानवरों से सुरक्षा दीवार का निर्माण	भिकियासैंण	खं0वि0अ0 भिकियासैंण	0.500	0.380	0	0.1200
32.	2010–11	अ0जा0 बाहुल्य ग्राम चक्करगाँव प्रा0पा0 का फील्ड निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.000	0.750	0	0.2500
33.	2010–11	अ0जा0 बाहुल्य जोगीख्वाड़ से प्रा0पा0 जोगीख्वाड़ के बीच पुलिया निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.500	1.120	0	0.3800
34.	2010–11	जूनिया अ0जा0 बस्ती धाराबखाली में जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.500	1.120	0	0.3800
35.	2010–11	इकूरौंज अ0जा0 बस्ती पिनालूखोल से जी0आई0सी0 कुआम्बटेश्वर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.000	0.750	0	0.2500
36.	2010–11	गढ़स्यारी में ललित मोहन सनवाल के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.300	0.220	0	0.0800
37.	2010–11	चक्करगाँव में कूबा देवी पत्नी स्व0 नन्दन सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.300	0.220	0	0.0800
38.	2010–11	चकगाँव के तोक डानीखोला में श्याम सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.300	0.220	0	0.0800
39.	2010–11	बजरखोडा शम्भल सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.300	0.220	0	0.0800
40.	2010–11	ग्राम ताडम बौरडा में कुन्दनराम पुत्र कुशलराम के घर से गोपालराम पुत्र पदराम के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.750	0.560	0	0.1900
41.	2010–11	जाख अ0जा0 बस्ती अणासेरा के आपदा से हुए भूस्खलन का सुरक्षा कार्य	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.750	0.560	0	0.1900
42.	2010–11	पैसिया अ0जा0 बस्ती कन्दराण में गुसाई राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
43.	2010–11	शिवला बौड़ अ0जा0 बस्ती बालीराम के घर से गुसाई राम के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.750	0.560	0	0.1900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	2010–11	गौलेखाल में देवसिंह पुत्र नैनसिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0000
45.	2010–11	अ0जा0 बस्ती चन्दराम में जल संवर्द्धन कार्य	सल्ट	ग्रा0वि0अ0 सल्ट	0.600	0.450	0	0.1500
46.	2010–11	मल्ला खोल्यों में अ0जा0 बस्ती प्याग टनौला तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0अ0 सल्ट	0.500	0.380	0	0.1200
47.	2010–11	अ0जा0 बस्ती डूँगागोठान में धनीराम पुत्र गुसाईराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
48.	2010–11	अ0जा0 बस्ती डूँगागोठान से प्रेमराम पुत्र रामराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
49.	2010–11	अ0जा0 बस्ती पतुवाढोखन मकलीदेवी पत्नी हरराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800
50.	2010–11	अ0जा0 बस्ती जाख में प्रेमराम पुत्र दौलतराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ग्रा0वि0अ0 सल्ट	0.300	0.220	0	0.0800

विधायक निधि योजना 2011–12 जनपद : अल्मोड़ा, विधान सभा सल्ट

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त की अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2011–12	अ0जा0 बस्ती रूढ़ोली (केंदू बाखली) जनमिलन केन्द्र के आंगन व सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	ग्रा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.120
2.	2011–12	मल्ली महरौली माहड़बाखली से अनु0जा0 बस्ती तक सी0सी0 मार्ग	स्याल्दे	ग्रा0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
3.	2011–12	अनु0जा0 बस्ती नंगकखाल जनमिलन केन्द्र के आंगन व सुरक्षा दिवार निर्माण	स्याल्दे	ग्रा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
4.	2011–12	मोटर मार्ग से मढस्याली होते हुए अनु0जा0 बस्ती तक सी0सी0 मार्ग	स्याल्दे	ग्रा0वि0अ0 स्याल्दे	1.000	0.750	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	2011—12	मल्ली महरौली अनु0जा0 बस्ती कार्यशाला का निर्माण का अवशेष कार्य	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
6.	2011—12	मंगरूखाल अनु0जा0 बस्ती मोहनराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
7.	2011—12	रूढ़ौली अनु0जा0 बस्ती में रानीराम के घर के पास सार्वजानिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
8.	2011—12	दुधोड़ी अनु0जा0 बस्ती में मोहनराम के घर के पास सार्वजानिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
9.	2011—12	रूढ़ौली अनु0जा0 बस्ती में शान्ति राम के घर के पास सार्वजानिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
10.	2011—12	कनडीधौड़ जनमिलन केन्द्र के आंगन व सुरक्षा दीवार निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
11.	2011—12	बिसराखेत जनमिलन केन्द्र के आंगन व सुरक्षा दीवार निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
12.	2011—12	गिवाईपानी जनमिलन केन्द्र के आंगन व सुरक्षा दीवार निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
13.	2011—12	ग्राम कन्वान में दिनेश सिंह पुत्र श्याम सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
14.	2011—12	रा0प्रा0वि0 घनियाल के क्रीडास्थल	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
15.	2011—12	ग्राम घनियाल में यात्री प्रतीक्षालय	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
16.	2011—12	कुजाणढैया में सार्व0 महिला स्नानागार	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
17.	2011—12	ग्राम पंचायत बुरांशपानी के तोक मल्ला बुरांशपानी में महिला स्नानागार सार्व0	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
18.	2011—12	चिचौन जनमिलन केन्द्र में सुरक्षा दीवार व आंगन निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
19.	2011—12	जालीखान जनमिलन केन्द्र की सुरक्षा दीवार एवं आंगन निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
20.	2011—12	घटबगड़ में बारातघर निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	2.000	1.500	0.50
21.	2011—12	घटबगड़ पेयजल योजना की विशेष मरम्मत	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	2011—12	जैचाम मोटर मार्ग में रमेश ध्यानी के घर तक सम्पर्क मार्ग	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.400	0.300	0.10
23.	2011—12	गौगाँव में महिला स्नानागार सार्व0	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
24.	2011—12	क्रानबुखला बाजार से नन्दन सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
25.	2011—12	ऐराड़ी मयाल बाखली में जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	1.500	1.120	0.38
26.	2011—12	तल्ली महरौली पूरनसिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
27.	2011—12	म0 महरौली पूरनसिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
28.	2011—12	...रैथौड़ उदे सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
29.	2011—12	जू0हा0 कफलगाँव में फील्ड निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.500	0.380	0.12
30.	2011—12	ग्राम गजार में राजेसिंह पुत्र सुदानसिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
31.	2011—12	ग्राम भिकराखेत में मुरलीधर पुत्र शिरोमणी के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
32.	2011—12	तल्ला कुशियाचौन अनु0जा0 बस्ती देवीराम पुत्र माधोराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
33.	2011—12	कडोली खिलुड़या अनु0जा0 बस्ती गोपालराम के घर के पास सार्व0 शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
34.	2011—12	म0 महरौली अनु0जा0 बस्ती जोगाराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खा0वि0ख0 स्याल्दे	0.250	0.190	0.06
35.	2011—12	अ0जा0 बस्ती पनुवाद्योखन में मथुर राम पुत्र पान्चो राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	सल्ट	खा0वि0ख0 सल्ट	0.250	0.1875	0.0625
36.	2011—12	अ0जा0 बस्ती जाख (पायल) में गोरीराम पुत्र नुसराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	सल्ट	खा0वि0ख0 सल्ट	0.250	0.1875	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	2011–12	अ0जा0 बस्ती डांग में नन्दराम पुत्र शिवराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
38.	2011–12	अ0जा0 बस्ती स्याहीदेवी में माया देवी पत्नी मोहन राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
39.	2011–12	बस्ती रगड़गाड़ में पेयजल पाइप लाइन व टैंक का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.400	0.3000	0.1
40.	2011–12	अणाखोला अ0जा0 बस्ती रामीराम पुत्र पनीराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
41.	2011–12	अ0जा0 बस्ती डांग में नन्दन राम पुत्र शिवराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
42.	2011–12	अ0जा0 बस्ती जाख में रामपाल पुत्र पनीराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
43.	2011–12	अ0जा0 बस्ती डागरा सौराल में नन्द राम पुत्र फकीर राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
44.	2011–12	अ0जा0 बस्ती बौरडा (तडम) में किशनराम पुत्र सदराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
45.	2011–12	अ0जा0 बस्ती बौरडा (तडम) में बहादुर राम पुत्र माधो राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
46.	2011–12	अ0जा0 बस्ती सनणा (तडम) में दिवानी राम पुत्र गोप राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
47.	2011–12	अ0जा0 बस्ती रिखाली में मुरराम पुत्र दिवानी राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.250	0.1875	0.0625
48.	2011–12	पटोडी मोटर मार्ग में अ0जा0 बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	साल्ट	खा0वि0अ0 साल्ट	0.500	0.3750	0.125
49.	2011–12	कनान मेला स्थल पर फील्ड निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.3750	0.125

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	2011–12	बिसरखोट बारातघर का अवशेष कार्य	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.3750	0.125
51.	2011–12	बाजर दाससुद्रायमा में जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	1.500	1.1250	0.375
52.	2011–12	नौगाँव शवदाह गृह पर यात्री प्रतीक्षालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.600	0.4500	0.15
53.	2011–12	गोगन्धानी में गोविन्द सिंह पुत्र हर सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.1875	0.0625
54.	2011–12	मल्ली महरोला में आनन्दी देवी पत्नी गोपाल सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.250	0.1875	0.0625
55.	2011–12	कनारीचौड सार्वजनिक स्थल का विकास	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.500	0.375	0.125
56.	2011–12	सलका क्वा0 बस्ती गुलार में गोपाल राम के घर के पास पेयजल योजना	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.20	0.15	0.05

विधायक निधि योजना 2012–13 जनपद अल्मोड़ा, विधान सभा क्षेत्र सल्ट

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2012–13	चम्याड़ी मुख्य मार्ग से केन्द्रीय विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चमयाड़ी	3.00	2.250	0.75
2.	2012–13	गुमटी मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चमयाड़ी	2.00	1.500	0.5
3.	2012–13	सदें महरगाँव इण्टर कालेज फर्नीचर हेतु	स्याल्दे	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 सदें महरगाँव	1.00	0.750	0.25
4.	2012–13	कोटसारी पंचायत घर में शौचालय निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.50	0.375	0.125

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	2012–13	मुख्य मोटर मार्ग से बौली खल्याणी निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	1.000	0.750	0.25
6.	2012–13	जूनियर हाईस्कूल तढ़ग हेतु फर्नीचर तथा 2 कम्प्यूटर क्रय	सल्ट	प्रधानाध्यापक जू0हा0 तढ़ग	1.500	1.125	0.375
7.	2012–13	टोटाम पेयजल योजना विशेष मरम्मत	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.700	0.525	0.175
8.	2012–13	मताकोट मुख्य मार्ग से गाँव को सम्पर्क मार्ग ख0ज0क0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	2.500	1.875	0.625
9.	2012–13	आई0टी0आई0 मर्चूला हेतु फर्नीचर क्रय	सल्ट	प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 मर्चूला	0.500	0.375	0.125
10.	2012–13	रा0इ0का0 देवायल में चार कम्प्यूटर एवं एक साउण्ड सिस्टम	सल्ट	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 देवायल	1.500	1.125	0.375
11.	2012–13	रा0इ0का0 सराईखेत हेतु फर्नीचर	स्याल्दे	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 सराईखेत	1.50	1.125	0.375
12.	2012–13	सरस्वती शिशु मन्दिर सराईखेत हेतु फर्नीचर	स्याल्दे	प्रधानाचार्य सरस्वती शिशुमन्दिर सराईखेत	01.50	1.125	0.375
13.	2012–13	ग्राम प्रणाीव अन्तर्गत मुख्य सड़क से मल्ली तया को खड़न्जा निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.60	0.450	0.15
14.	2012–13	सैंणामानुर गाँव में भण्डार कक्ष निर्माण का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु ख0ज0क0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.40	0.300	0.1
15.	2012–13	ग्राम बनौड़ा ख0ज0क0 में पेयजल योजना निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.50	1.125	0.375
16.	2012–13	ग्राम धमखला में शाहिदा बेगम पत्नी नशीर बख्श के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
17.	2012–13	सैंणामानुर तुलसी देवी प0 गोविन्द राम के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
18.	2012–13	गंगाखाला पो0 पीपलखान में श्री गणेश सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह के मकान के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	2012–13	चिन्तोली में श्री गोपाल राम के मकान के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
20.	2012–13	पैठाना में श्री महेश उप्रेती पुत्र श्री अम्बीका प्रसाद के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
21.	2012–13	तल्ला-सनकुमीठा में श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
22.	2012–13	ग्राम कल्मरा पो0 उदयपुर में श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्व0 परमानन्द के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.30	0.225	0.075
23.	2012–13	तल्ला सारसों में श्रीमती संग्रामी देवी पत्नी स्व0 श्री बचे सिंह बिष्ट के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.30	0.225	0.075
24.	2012–13	मंगोली एराड़ीरतखार में श्री देवसिंह खाती पुत्र श्री पानी सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
25.	2012–13	ग्राम कुल्णागुट स्याल्दे में श्री भुवनचन्द्र लखचौरा पुत्र श्री देवी दत्त लखचौरा के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
26.	2012–13	ग्राम कनकोट में श्री धन सिंह पुत्र श्री राम सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
27.	2012–13	ग्राम कनकोट में श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
28.	2012–13	पिलखी कनकोट में श्री मदन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
29.	2012–13	खल्कुआ में श्री रमेश कुमार के घर के नीचे मार्ग में सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
30.	2012–13	आमखेत में श्री कनसिंह रावत पुत्र श्री पदम सिंह रावत के मकान के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
31.	2012–13	गोलना में श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री जसरा के मकान के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	2012—13	मोहनी डेया पो0 बसई में प्रताप सिंह महरा पुत्र श्री कमल सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
33.	2012—13	पालनपुर में शंकर सिंह नेगी एवं कपिल नेगी के घर के पास मेन रोड के ऊपर सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.80	0.600	0.2
34.	2012—13	कुकियाचौन मल्ला में श्रीमती सुनीता आर्या प0 श्री भगत राम के मकान के पास सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.50	0.375	0.125
35.	2012—13	मल्ला भाकुड़ा में श्री भगत सिंह के घर के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
36.	2012—13	ग्राम भैसुड़ा में मथान सिंह के घर के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
37.	2012—13	ग्राम फणिया भटेला में श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री जगदसिंह के घर के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
38.	2012—13	खोल्यों में अ0जा0बा ने दो सार्वजनिक शौचालय ग्राम सभा चन्थरखाड़ी	स्याल्दे	ग्राम प्रधान चन्थरखाड़ी	0.30	0.225	0.075
39.	2012—13	खोल्यों में तीन सार्वजनिक शौचालय ग्राम सभा चन्थरखाड़ी	स्याल्दे	ग्राम प्रधान चन्थरखाड़ी	0.50	0.375	0.125
40.	2012—13	लम्बाड़ी में छह सार्वजनिक शौचालय ग्राम सभा चन्थरखाड़ी	स्याल्दे	ग्राम प्रधान चन्थरखाड़ी	0.80	0.600	0.2
41.	2012—13	छीपा में चार सार्वजनिक शौचालय ग्राम सभा चन्थरखाड़ी	स्याल्दे	ग्राम प्रधान चन्थरखाड़ी	0.50	0.375	0.125
42.	2012—13	रतनियाली खत्ता में दो सार्वजनिक शौचालय ग्राम सभा चन्थरखाड़ी	स्याल्दे	ग्राम प्रधान चन्थरखाड़ी	0.50	0.375	0.125
43.	2012—13	चन्थरखाड़ी में छह सार्वजनिक शौचालय ग्राम सभा चन्थरखाड़ी	स्याल्दे	ग्राम प्रधान चन्थरखाड़ी	0.80	0.600	0.2
44.	2012—13	ग्वाली में मन्दिर के नीचे से देवकी देवी के घर तक सीढ़ी मार्ग	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.50	0.375	0.125
45.	2012—13	बिड़खाल्दा जनरखाड़ी में श्री भवानीराम पुत्र नरीराम के घर के निकट सार्व0 शौचालय	स्याल्दे	ग्राम प्रधान जनरखाड़ी	0.25	0.188	0.0625
46.	2012—13	सुदानी राम के घर से बिड़खाल्दा को खाड़न्दा मार्ग निर्माण ग्राम सभा जनरखाड़ी	स्याल्दे	ग्राम प्रधान जनरखाड़ी	0.50	0.375	0.125

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	2012–13	पिडखण्डा जनरखाड़ी में श्री नारायण सिंह पुत्र नन्दन सिंह के घर के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ग्राम प्रधान जनरखाड़ी	0.25	0.188	0.0625
48.	2012–13	पिडखण्डा जनरखाड़ी में श्री भूपाल सिंह पुत्र खुशाल सिंह के घर के निकट सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ग्राम प्रधान जनरखाड़ी	0.25	0.188	0.0625
49.	2012–13	ग्राम डीडाकोट बसेड़ी में श्री मोहन सिंह पुत्र स्व0 मानसिंह घर के पास सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ग्राम प्रधान जनरखाड़ी	0.25	0.188	0.0625
50.	2012–13	ग्राम डीरनखेत पुरियाचौडा में श्री भुवन चन्द्र पुत्र स्व0 हरिदत्त के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
51.	2012–13	ग्राम डीरनखेत में श्री हीरावल्लभ के घर के निकट सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.15	0.113	0.0375
52	2012–13	ग्राम इनेड़ में श्री भुवन सिंह पुत्र गंगा सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
53.	2012–13	ग्राम सिमलीडीह कुपीधार में श्री दानसिंह बिष्ट के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
54.	2012–13	ग्राम झिरनखेत में श्री दयाकृष्ण पुत्र गोपाल दत्त घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
55.	2012–13	नहटनौला कुणधिर में श्री गंगासिंह भाकुनी पुत्र स्व0 नरपत सिंह के घर के के पास मार्ग में सुरक्षा दीवार	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.15	0.113	0.0375
56.	2012–13	ग्राम नकतुरा में श्री धीमसिंह घुघत्याल के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
57.	2012–13	ग्राम रिचना में श्री किशनानन्द के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
58.	2012–13	ग्राम नकतुरा में श्री रामलाल के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
59.	2012–13	ग्राम कपुवानौली में श्री मकान सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
60.	2012–13	ग्राम कपुवानौली में श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	2012–13	ग्राम हनेड़ बसेड़ी में अम्बादत्त पाण्डे पुत्र स्व0 नरदेव के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
62.	2012–13	ग्राम नौगीगैर में हरीशचन्द चौहान के घर के पास मार्ग में सुरक्षा दीवार	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.15	0.113	0.0375
63.	2012–13	ग्राम जगतुराखाल में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे के घर के पास मार्ग में सुरक्षा दीवार	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.15	0.113	0.0375
64.	2012–13	ग्राम जगतुराखाल में श्री लक्ष्मीदत्त के घर के पास मार्ग में सुरक्षा दीवार	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.15	0.113	0.0375
65.	2012–13	ग्राम रिष्टना में श्री बालादत्त उपाध्याय के घर के पास मार्ग में सुरक्षा दीवार	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.15	0.113	0.0375
66.	2012–13	ग्राम रिष्टना में श्री लक्ष्मीदत्त शर्मा के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
67.	2012–13	ग्राम रुद्रौली में श्री हरीशचन्द्र सिंह के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
68.	2012–13	ग्राम नकपुरा में श्री हरीश चन्द्र नैनवाल के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
69.	2012–13	ग्राम पुरियाचौड़ में श्री रेवाधर पुत्र बाल देव के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
70.	2012–13	ग्राम सिद्धेश्वर बाजार कुणीधार में श्री रमेशचन्द्र के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
71.	2012–13	ग्राम बाखीसिमार कुणीधार में श्री गोविन्द बल्लभ के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
72.	2012–13	ग्राम पुराना हनेड़ बसेड़ी में श्री प्रहलाद सिंह बसनाल के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
73.	2012–13	ग्राम रिवाली पल्ली में श्रीमती विमला देवी के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
74.	2012–13	ग्राम बसेड़ी पेयजल योजना विशेष मरम्मत	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.75	0.563	0.1875

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	2012–13	ग्राम पंचायत सैणमानुर अन्तर्गत सिमण में सम्पर्क मार्ग	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.50	0.375	0.125
76.	2012–13	ग्राम पंचायत सैणमानुर में नेहरू में सम्पर्क मार्ग	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.50	0.375	0.125
77.	2012–13	जूनियर हाईस्कूल देवीखाल में कक्ष निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	1.50	1.125	0.375
78.	2012–13	मवलगाँव अन्तर्गत ननवाल बाखली में जनमिलन केन्द्र निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	1.50	1.125	0.375
79.	2012–13	मैसिया अ0जा0 बस्ती में चौपाल निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.50	0.375	0.125
80.	2012–13	ग्राम पंचायत इनलो में जनमिलन केन्द्र निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	1.50	1.125	0.375
81.	2012–13	दन्यूला उनवालबाखली से उभराड़ को मार्ग निर्माण, खड़ञ्जा	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	3.00	2.250	0.75
82.	2012–13	क्वेराला बाजार से कन्या विद्यालय मार्ग में सुरक्षा दीवार निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	1.00	0.750	0.25
83.	2012–13	ग्राम बनकोटा सार्वजनिक स्थल चाहरदीवारी निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.70	0.525	0.175
84.	2012–13	चन्दन सिंह पुत्र भवानसिंह के मकान नजदीक सार्व0 शौचालय निर्माण ग्राम बमोड़ा	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.40	0.300	0.1
85.	2012–13	ग्राम डूंगरी पो0 उलया कमलादेवी के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.30	0.225	0.075
86.	2012–13	पूनाकोट सल्लाकडुवा पेयजल टैंक निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	1.00	0.750	0.25
87.	2012–13	पूरन सिंह पुत्र जोगा सिंह ग्राम नगचूला के आवास के नजदीक सार्व0 शौचालय निर्माण अ0जा0	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.25	0.188	0.0625
88.	2012–13	राजेन्द्र कुमार पुत्र रमेशराम मैलीखेत के आवास के नजदीक सार्वजनिक शौचालय निर्माण अ0जा0	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.30	0.225	0.075
89.	2012–13	कुन्मिशन खाला में पंचायत घर का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु अ0जा0ब0	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	1.00	0.750	0.25
90.	2012–13	ग्राम उभराड़ कमर सिंह पुत्र मोहन सिंह के घर के पास सार्व0 शौचालय निर्माण	साल्ट	ख0वि0अ0 साल्ट	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	2012–13	ग्राम उजराड़ श्यामसिंह पुत्र मोहन सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
92.	2012–13	ग्राम सिरोली कुकराड़ बिरूली देवी पत्नी गोपालसिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
93.	2012–13	ग्राम उपराड़ कब्रिस्थान की चाहरदीवारी निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
94.	2012–13	अमरोली ग्राम अमरगिरी पुत्र मोहनगिरी के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.30	0.225	0.075
95.	2012–13	सैण्मानुर खिमुली देवी पत्नी नन्दन सिंह के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
96.	2012–13	रा0इ0का0 हाईस्कूल मानिला हेतु फर्नीचर	सल्ट	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 मानिला	0.50	0.375	0.125
97.	2012–13	रा0इ0का0 झड़गाँव में मंच निर्माण	सल्ट	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 झड़गाँव	0.50	0.375	0.125
98.	2012–13	जदोली से रैवा तोक तक खड़ंजा निर्माण	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जदोली	1.00	0.750	0.25
99.	2012–13	प्रकाश हटेली पुत्र मथुरा दत्त मल्ला घुघुटा के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
100.	2012–13	कुंवर सिंह पुत्र बचेसिंह तोलबुधानी के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
101.	2012–13	जगदीश चन्द्र पुत्र नन्दकिशोर मल्ला चाकुडा के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
102.	2012–13	प्रताप सिंह पुत्र मोहनसिंह रावत सिमलखीना के आवास के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.30	0.225	0.075
103.	2012–13	बुरासपानी गधेरे में पुलिया निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	1.50	1.125	0.375
104.	2012–13	सदीगाँव जनमिलन केन्द्र में स्थल विकास एवं सुरक्षा दीवार निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.55	0.4075	0.1425

1	2	3	4	5	6	7	8
105.	2012–13	शान्ति देवी पत्नी सुरेन्द्र कोहली नगरखाल के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खं०वि०अ० स्याल्दे	0.30	0.225	0.75
106.	2012–13	कनारीखोड़ गाँव के बीच सी०सी० मार्ग निर्माण अ०जा०ब०	स्याल्दे	खं०वि०अ० स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
107.	2012–13	सौनिया बिसराखेत पेयजल योजना विशेष मरम्मत	स्याल्दे	खं०वि०अ० स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
108.	2012–13	पिलखी कनकोट पेयजल योजना विशेष मरम्मत	स्याल्दे	खं०वि०अ० स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
109.	2012–13	ग्राम जूनयाखेत मनादेवी के घर के पास से पानी की टंकी तक सी०सी० मार्ग	स्याल्दे	खं०वि०अ० स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
110.	2012–13	मिचाईपानी पल्ली गहलगैरी से मिचाईपली को खड़ंजा निर्माण अ०जा०ब०	स्याल्दे	खं०वि०अ० स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
111.	2012–13	जू०हा० गाजर के भवन निर्माण के अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत गाजर	1.00	0.750	0.25
112.	2012–13	रा०प्रा०विद्यालय सुवाखेत के कक्ष निर्माण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत कफलगाँव स्याल्दे	2.00	1.500	0.5
113.	2012–13	वल्ली चनवाड़ी जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चनवाड़ी	1.50	1.125	0.375
114.	2012–13	चकगाँव मल्ला बगोली जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चकगाँव	1.50	1.125	0.375
115.	2012–13	अ०जा०ब० चकगाँव जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चकगाँव	1.50	1.125	0.375
116.	2012–13	चकगाँव सामान्य बस्ती जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चकगाँव	1.50	1.125	0.375
117.	2012–13	चकगाँव के तोक गढ़कोट में सी०सी० मार्ग	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चकगाँव	0.50	0.375	0.125

1	2	3	4	5	6	7	8
118.	2012–13	कमेटपानी जनमिलन केन्द्र निर्माण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत सराईखेत स्याल्दे	1.50	1.125	0.375
119.	2012–13	ग्राम चिड़कान्डा से तपढ़ुवा सम्पर्क मार्ग क0जा0का0	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत जनवखाली	1.00	0.750	0.25
120.	2012–13	ग्राम पंचायत चनोली एस0सी0पी0 अन्तर्गत बरात घर निर्माण का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत चनोली	1.50	1.125	0.375
121.	2012–13	रा0उ0मा0वि0 गुदलेख चौरीखाल में दो कम्प्यूटर हेतु	स्याल्दे	प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 गुदलेख चौरीखाल	0.50	0.375	0.125
122.	2012–13	ग्राम डिमली में पंचायत घर का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत डिमली	1.00	0.750	0.25
123.	2012–13	मुख्य मोटर मार्ग से गड़स्यारी तक सम्पर्क मार्ग क0जा0का0	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत गड़स्यारी	2.00	1.500	0.5
124.	2012–13	ग्राम पंचायत गड़स्यारी में शौच सार्व0 शौचालय	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत गड़स्यारी	1.00	0.750	0.25
125.	2012–13	रा0इं0का0 कुलान्टेश्वर हेतु फर्नीचर	स्याल्दे	प्रधानाचार्य रा0इं0का0 कुलान्टेश्वर	1.50	1.125	0.375
126.	2012–13	ग्लोगाँव में स्थित बूबू देवता मेला स्थल विकास कार्य एवं सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.50	0.375	0.125
127.	2012–13	ग्राम गोगन्याण में मेला स्थल में चारदीवारी	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
128.	2012–13	कुलान्टेश्वर पर्यटन स्थल सौन्दर्यीकरण चाहरदीवारी	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	2.00	1.500	0.5
129.	2012–13	ग्राम उदयपुर में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	1.50	1.125	0.375
130.	2012–13	डिमार सत्यवती मेला स्थल नजदीक भण्डार कक्ष	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.50	1.125	0.375

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	2012–13	टोटाम पर्यटन स्थल में सुरक्षा दीवार चाहरदीवार	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.30	0.975	0.325
132.	2012–13	ग्राम चिन्तोडखल में श्रीमती चिनुली देवी के घर के पास मेला स्थल की चाहरदीवार	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.60	0.450	0.15
133.	2012–13	ग्राम घुरुवाढूंगा भौंकाकोट में पर्यटन स्थल का सौन्दर्यीकरण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
134.	2012–13	ग्राम पंचायत इनलो अ0जा0ब0 में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.50	1.125	0.375
135.	2012–13	शहीद स्मारक खुमाड़ सल्ट में म्यूजियम हेतु	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	4.00	3.000	1
136.	2012–13	मटेला महादेव मेला पर्यटन स्थल सौन्दर्यीकरण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत कल्याणपुर स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
137.	2012–13	सार्सा हनुमान पर्यटन स्थल में सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत सराईखेत	2.00	1.500	0.5
138.	2012–13	ग्राम सिमगाँव सार्वजनिक स्थल सौन्दर्यीकरण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत सिमगाँव	0.70	0.525	0.175
139.	2012–13	ग्राम तपडुवा मेला स्थल सौन्दर्यीकरण दीवार	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत जनरखाड़ी	0.60	0.450	0.15
140.	2012–13	ग्राम रणकुना में चौपाल की चाहरदीवारी निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
141.	2012–13	भैंसीखेत अ0जा0ब0 से धनरीखत्ता तक सी0सी0 मार्ग	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
142.	2012–13	डल्ला कौराला से बाजार को अ0जा0ब0 होते हुए मार्ग निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
143.	2012–13	खोल्यों अ0जा0ब0 में पेयजल विशेष मरम्मत	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
144.	2012–13	विनोली मोहनराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
145.	2012–13	पस्तलीदेवी गुनहा के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	2012–13	राधा देवी पत्नी रणजीत सिंह ग्राम मुनड़ा के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
147.	2012–13	म्याड़ी ग्राम तल्ला में चौपाल की चाहरदीवारी निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
148.	2012–13	तल्ला म्याड़ी में चौपाल की चाहरदीवारी निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
149.	2012–13	किशन सिंह ग्राम मुनड़ा के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.30	0.225	0.75
150.	2012–13	खल्ता से रौथामानुर को खड़ंजा अ0पा0क0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.60	0.450	0.15
151.	2012–13	शहीद स्मारक कुन्हील से चौडख्या को खड़ंजा निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.60	0.450	0.15
152.	2012–13	थला तड़ियाल में पेयजल नौला विशेष मरम्मत	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
153.	2012–13	ग्राम नदोली में मार्ग एवं दीवार निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
154.	2012–13	काने अ0जा0ब0 से प्रा0पा0 को सम्पर्क मार्ग निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
155.	2012–13	ग्राम पंचायत खुमाड़ के तल्ला किचार में सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
156.	2012–13	लुड़ेका फील्ड में गेट निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
157.	2012–13	लछमसिंह पुत्र गंगासिंह सोंखली के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
158.	2012–13	कोटली तल्ली जमरयगढ़ में स्वर्गाश्रम निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
159.	2012–13	ग्राम कोट जसपुर में खड़ंजा निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
160.	2012–13	ग्राम घरी अ0जा0ब0 में पेयजल योजना मरम्मत	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
161.	2012–13	ग्राम चौक कृपाल सिंह के घर के पास सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
162.	2012–13	ग्राम नदोली में द्रोपदी देवी के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
163.	2012—13	नगचूला से धरखोलू तक पेयजल योजना विशेष मरम्मत	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
164.	2012—13	ग्राम सोखाती रामाकक्ष निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
165.	2012—13	कोटली तल्ली से कोट तक पेयजल निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
166.	2012—13	बौड़ तल्ला से ग्रा0 पा0 तक खड़ण्जा अ0जा0बा0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.80	0.600	0.2
167.	2012—13	केदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह मल्ला बौड़ के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.30	0.225	0.75
168.	2012—13	नवीन चन्द्र पुत्र दुर्गादत्त बनगाँव के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
169.	2012—13	प्रकाश चन्द्र पुत्र लोकमणि पुरियाचौका के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
170.	2012—13	आनन्द सिंह पुत्र धनसिंह श्रीजाकोट के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
171.	2012—13	ग्राम चौना में चौपाल की चाहरदीवारी निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
172.	2012—13	उत्तमगिरी पुत्र धनगिरी नैन मधुली के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
173.	2012—13	अनीता मनराल पुत्र जगदीश मनराल ग्राम सैणमानुर के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
174.	2012—13	देवीधनल्याल इनलो उमरा के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
175.	2012—13	बख्तावर सिंह ग्राम गुलार के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
176.	2012—13	महेन्द्र सिंह ग्राम गुलार सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
177.	2012—13	राजे सिंह ग्राम गुलार सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
178.	2012–13	पूरन सिंह ग्राम भुलार सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
179.	2012–13	ग्राम बड़ी पर्यटन स्थल चौपाल की चाहरदीवारी	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.60	0.450	0.15
180.	2012–13	गोविन्द सिंह ग्राम दयोला के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
181.	2012–13	कल्याण सिंह रावत ग्राम कुणीधार के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
182.	2012–13	ज्योतसिंह नाकुनी ग्राम कुणीधार नहटनौला के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
183.	2012–13	लखन सिंह चौहान मनसू बाखली के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
184.	2012–13	महाविद्यालय मानिला गेट से बिष्ट बाखली तक सम्पर्क मार्ग	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
185.	2012–13	भण्डार खोला तथा इण्टर कॉलेज की चाहरदीवारी एवं फील्ड निर्माण	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	2.00	1.500	0.5
186.	2012–13	तल्ला गडकोट पंचायत घर विशेष मरम्मत	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
187.	2012–13	मल्ला गडकोट प्रा0वि0 की चाहरदीवारी एवं सुरक्षा दीवार	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
188.	2012–13	ग्राम पंचायत नेवलगाँव में चौपाल की चाहरदीवारी निर्माण	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	1.00	0.750	0.25
189.	2012–13	शिव मन्दिर रणकुना से हीरासिंह के मकान तक सी0सी0 मार्ग	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.60	0.450	0.15
190.	2012–13	जोगा सिंह पु0 ध्यान सिंह रावत के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
191.	2012–13	दलीप सिंह पु0 सुरसिंह के बघुले तल्ला सल्ट के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
192.	2012–13	खदेरा गाँव में खड़ञ्जा निर्माण	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
193.	2012–13	कमला देवी पत्नी शिव सिंह डुंगरी पे0 तया में सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खं0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
194.	2012–13	घनश्याम सत्यवती राठौड़ के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.30	0.225	0.075
195.	2012–13	गिरवर सिंह पुत्र0 भवानसिंह ग्राम चौना के मकान के नजदीक मार्ग में सुरक्षा दीवार निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
196.	2012–13	रा0इ0का0 ऑगीधार हेतु फर्नीचर	सल्ट	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 ऑगीधार	1.00	0.750	0.25
197.	2012–13	तराड़ी चौपाल की चाहरदीवारी निर्माण	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत तराड़ी	1.00	0.750	0.25
198.	2012–13	जीवन सिंह पुत्र चन्दन सिंह ग्राम तराड़ी के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत तराड़ी	0.30	0.225	0.075
199.	2012–13	बलवंत उनियाल ग्राम तराड़ी के के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत तराड़ी	0.30	0.225	0.075
200.	2012–13	ग्राम जिहाड़ दिगम्बर सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम सल्ट	0.25	0.188	0.0625
201.	2012–13	ग्राम जिहाड़ जसपाल सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम सल्ट	0.20	0.150	0.05
202.	2012–13	ग्राम जिहाड़ खीम सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम सल्ट	0.20	0.150	0.05
203.	2012–13	ग्राम जिहाड़ बालम सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम सल्ट	0.20	0.150	0.05
204.	2012–13	ग्राम जिहाड़ पर्वत सिंह के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम सल्ट	0.20	0.150	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
205.	2012—13	ग्राम जिहाड़ में मदनराम के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय अ0जा0ब0	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम साल्ट	0.20	0.150	0.05
206.	2012—13	ग्राम जिहाड़ पीताम्बर के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम साल्ट	0.20	0.150	0.05
207.	2012—13	ग्राम जिहाड़ शारदा देवी के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़ पो0 सीम साल्ट	0.20	0.150	0.05
208.	2012—13	गोविन्दी देवी पत्नी पुरुषोत्तम ग्राम टिटोली के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत टिटोली	0.25	0.188	0.0625
209.	2012—13	रा0इ0का0 नैलवालपाली में फील्ड निर्माण	साल्ट	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 नैनवालपाली	0.60	0.450	0.15
210.	2012—13	भीमसिंह पुत्र प्रतापसिंह फैनाटिटोली के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत टिटोली	0.25	0.188	0.0625
211.	2012—13	लक्ष्मण नाथ पुत्र आनन्दनाथ टिटोली के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत टिटोली	0.25	0.188	0.0625
212.	2012—13	ग्राम पंचायत धापली में 12 सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत धापली	1.50	1.125	0.375
213.	2012—13	मानसिंह ग्राम जिहाड़ के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़	0.20	0.150	0.05
214.	2012—13	बाघसिंह ग्राम जिहाड़ के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़	0.20	0.150	0.05
215.	2012—13	ग्राम जिहाड़ अ0जा0ब0 में सम्पर्क मार्ग	साल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत जिहाड़	0.50	0.375	0.125

1	2	3	4	5	6	7	8
216.	2012–13	मछोड़ पेयजल योजना निर्माण	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत मछोड़	2.00	1.500	0.5
217.	2012–13	कैंफलगाँव बजवाड़ पुल से मार्ग के बालीराम के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.20	0.150	0.05
218.	2012–13	पूरन सिरकानी बरसोली के मकान नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
219.	2012–13	योगेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह भाटी महरोली मकान नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
220.	2012–13	टानाबीन में मोटर मार्ग से मेकूनी बाखली को सम्पर्क मार्ग	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
221.	2012–13	आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैंफलगाँव भवन का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.75	0.563	0.1875
222.	2012–13	मुख्य मोटर मार्ग से चित्रकूट विद्यालय को सम्पर्क मार्ग	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.50	0.375	0.125
223.	2012–13	दीप चन्द्र बलोदी डेया किचार के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
224.	2012–13	काशीराम कुशियालीन मकान के नजदीक मार्ग में सुरक्षा दीवार	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.20	0.150	0.05
225.	2012–13	राजेन्द्र सिंह पुत्र बालम सिंह रामसिंह किचार के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
226.	2012–13	जगदेव पुत्र भवानी दत्त ढइया किचार के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
227.	2012–13	महेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह ग्राम सिचौन के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
228.	2012–13	किशोर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ग्राम कैंफलगाँव में सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
229.	2012–13	शेरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह ग्राम नौगाँव के मकान नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
230.	2012–13	बालम सिंह पुत्र उपराव सिंह ग्राम नौगाँव के सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	ख0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
231.	2012–13	रणजीत सिंह पुत्र किशन सिंह पत्थरखोला के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
232.	2012–13	धनसिंह पुत्र सुदान सिंह ग्राम नौगाँव के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
233.	2012–13	रूप सिंह पुत्र मोहन सिंह ग्राम नौगाँव के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
234.	2012–13	रतनसिंह जीना ग्राम म्याली के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
235.	2012–13	मथुरादत्त तेवाड़ी तामाढोन के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
236.	2012–13	जीवानन्द रिखाड़ी ग्राम गोलना के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
237.	2012–13	हरीराम गोलना के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
238.	2012–13	मदनराम गोलना के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
239.	2012–13	दिवान राम ग्राम गोलना के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
240.	2012–13	किशनसिंह मोती सिंह ग्राम जको के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
241.	2012–13	सुनोली ग्राम के तोक बासी में पाइपलाइन मरम्मत	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
242.	2012–13	खष्टी देवी ग्राम ग्वालकीना के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
243.	2012–13	प्रा०पा० रौतापानी के आगे सुरक्षा दीवार निर्माण	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.70	0.525	0.175
244.	2012–13	रफड़िया मल्ला मटेला में भण्डार कक्ष निर्माण	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	0.80	0.600	0.2
245.	2012–13	त्रिवेणी घटगाड़ में श्मशान चाहरदीवारी निर्माण ग्राम पंचायत गुदलेख	स्याल्दे	खण्वि०अ० स्याल्दे	1.00	0.750	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8
246.	2012-13	देघाट समाभवन में सिन्टल डाले जाने हेतु	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.00	0.760	0.25
247.	2012-13	पूरन सिंह पालीवाल के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय निर्माण ग्राम मरसोली	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.30	0.225	0.075
248.	2012-13	परथोला से महोलीखाल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण अ0जा0ब0	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.70	0.525	0.175
249.	2012-13	ग्राम कूनालेश्वर में ग्रह शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.00	0.188	0.25
250.	2012-13	अम्बाराम पुत्र नन्दराम जैखाल के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय निर्माण अ0जा0ब0	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
251.	2012-13	श्रीमादेवी पत्नी श्यामसिंह बल्सराम के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
252.	2012-13	गोपाल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह बराहखाल के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
253.	2012-13	ग्राम नौराज चौपाल में टिन शेड डाले जाने हेतु	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.50	0.375	0.125
254.	2012-13	गिरीश चन्द्र फुलारा ग्राम जसपुर के मकान नजदीक सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.30	0.225	0.075
255.	2012-13	ग्राम कफलटाना चौपाल की चाहरदीवारी निर्माण	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
256.	2012-13	ग्वालबीना ग्राम में अ0जा0ब0 में सम्पर्क मार्ग	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
257.	2012-13	कैलाश राम पुत्र दुर्गाराम ग्वालबीना के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय अ0जा0ब0	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
258.	2012-13	हरिमादेवी पत्नी गोपालराम के मकान के नजदीक ग्वालबीना सार्वजनिक शौचालय निर्माण अ0जा0ब0	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
259.	2012-13	चौरासी से पोखर को सम्पर्क मार्ग अ0जा0ब0	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	1.00	0.750	0.25
260.	2012-13	पत्थरखोला यात्री विश्राम घर का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु	स्याल्दे	खं0वि0अ0 स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
261.	2012–13	देवेन्द्र बिष्ट ग्राम ग्वाली के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खण्डवि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
262.	2012–13	शीला देवी पत्नी बालम सिंह रामसिंह किचार के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खण्डवि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
263.	2012–13	तल्ला भाकुड़ा में पूरनराम के घर के नजदीक अ०जा०ब० में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खण्डवि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
264.	2012–13	दर्शन राम ग्राम जुनिया के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्डवि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
265.	2012–13	सेरा में अ०जा०ब० में सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	खण्डवि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
266.	2012–13	ग्राम पैठाणा नन्दीदेवी पत्नी रघुवारा के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	स्याल्दे	खण्डवि०अ० स्याल्दे	0.25	0.188	0.0625
267.	2012–13	तल्ला भाकुड़ा में पूरनराम के घर से प्रा०पा० तक सी०सी० मार्ग अ०जा०ब०	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत तल्ला भाकुड़ा	0.70	0.525	0.175
268.	2012–13	बजखोड़ा ग्राम में सम्पर्क मार्ग निर्माण अ०जा०ब०	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत इकूरौला	0.50	0.375	0.125
269.	2012–13	रा०इ०का०कि० सुन्दरखाल हेतु फर्नीचर	स्याल्दे	प्रधानाचार्य रा०उ०मा०वि० सुन्दरखाल	0.70	0.525	0.175
270.	2012–13	रा०इ०का० जौरासी हेतु फर्नीचर	स्याल्दे	प्रधानाचार्य रा०इ०का० जौरासी	1.00	0.750	0.25
271.	2012–13	इकूरौला पेयजल निर्माण	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत इकूरौला	2.00	1.500	0.5
272.	2012–13	मानरिया कस्ली में चार सार्वजनिक शौचालय	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत औखल्दौं स्याल्दे	1.00	0.750	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8
273.	2012—13	भौनी बडुया अ0जा0ब0 में 2 सार्वजनिक शौचालय निर्माण अ0जा0ब0	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत औखल्याँ स्याल्दे	0.50	0.375	0.125
274.	2012—13	ग्राम मलखोरा में महिला स्नानागार	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत औखल्याँ स्याल्दे	0.30	0.225	0.075
275.	2012—13	ग्राम देवता सिमार में महिला स्नानागार	स्याल्दे	प्रधान ग्राम पंचायत औखल्याँ स्याल्दे	0.30	0.225	0.075
276.	2012—13	रौंगमहुर मण्डार कक्ष का अवशेष कार्य पूर्ण हेतु अ0जा0ब0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.50	0.375	0.125
277.	2012—13	ग्राम डाक्गाँव मुख्य मोटर मार्ग से अ0जा0ब0 तथा को सम्पर्क मार्ग निर्माण	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.60	0.450	0.15
278.	2012—13	जगतराम ग्राम उभरा बंधूखाल के मकान के नजदीक सार्वजनिक शौचालय अ0जा0ब0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
279.	2012—13	ग्राम पनुवाखोखन महेशराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय अ0जा0ब0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
280.	2012—13	ग्राम पनुवाखोखन दर्शनराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय अ0जा0ब0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
281.	2012—13	ग्राम पनुवाखोखन लालीराम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय अ0जा0ब0	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
282.	2012—13	जाख के तोक नापक अ0जा0ब0 ललित राम पुत्र ख्याली राम के घर के पास सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625
283.	2012—13	दिवानराम पुत्र गोपालराम ग्राम टोटाम के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	ख0वि0अ0 सल्ट	0.25	0.188	0.0625

1	2	3	4	5	6	7	8
284.	2012–13	बालीराम पुत्र रतनराम ग्राम बरकिन्डा के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय अ0जा0ब0	सल्ट	खा0वि0अ0 सल्ट	0.20	0.150	0.05
285.	2012–13	भूपालराम पुत्र धनीराम ग्राम बरकिन्डा के मकान के नजदीक अ0जा0ब0 में सार्वजनिक शौचालय	सल्ट	खा0वि0अ0 सल्ट	0.20	0.150	0.05
286.	2012–13	चन्दन राम पुत्र फकीर राम ग्राम बरकिन्डा के मकान के नजदीक सार्व0 शौचालय	सल्ट	खा0वि0अ0 सल्ट	0.20	0.150	0.05
287.	2012–13	मछोड़ रा0इ0का0 में कक्षा कक्ष निर्माण अ0जा0ब0	सल्ट	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 मछोड़	2.00	1.500	0.5
288.	2012–13	कोटली मल्ली से अ0जा0ब0 परवाणा दियानराम के घर के पास तक पेयजल योजना निर्माण	सल्ट	प्रधान ग्राम पंचायत कोटली मल्ली	2.00	1.500	0.5
289.	2012–13	ग्राम पंचायत मैसीखेत अ0जा0ब0 में तीन शौचालय निर्माण	सल्ट	ग्राम पंचायत मैसीखेत मानिला	0.50	0.375	0.125
290.	2012–13	ग्राम पंचायत डढोली अ0जा0ब0 में पांच शौचालय निर्माण	सल्ट	ग्राम पंचायत डढोली मानिला	0.60	0.450	0.15
291.	2012–13	ग्राम मटखानी अ0जा0ब0 में खड़न्जा निर्माण	स्याल्दे	खा0वि0अ0 स्याल्दे	0.70	0.525	0.175

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 02 पीछे पृष्ठ 17 पर)

जनपद देहरादून का विकास खण्ड/ग्राम सभावार योजना का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	
			2012–13	2013–14
1	2	3	4	5
1.	चकराता	बृनाड	18	12
2.	"	कूणा	39	19
3.	"	भाटगढ़ी	48	42
4.	"	झिटाड	25	86
5.	"	रडू	86	60
6.	"	कोल्हा	40	65
7.	"	मुन्धोल	118	98
8.	"	मेघाटू	45	92
9.	"	मैन्द्रथ	23	7
10.	"	चातरा	16	6
11.	"	पुरटाड	12	18
12.	"	कोटीबाबर	26	11
13.	"	सैंज तराणू	37	24
14.	"	अटाल	35	347
15.	"	अणू	141	29
16.	"	टियूटाड	20	34
17.	"	रायगी	80	83
18.	"	भुनाड	28	53
19.	"	भटाड	18	11

1	2	3	4	5
20.	चकराता	डिरनाड	47	7
21.	"	हरटाड–छजाड	63	33
22.	"	फनार	23	20
23.	"	बगूर	33	30
24.	"	भूट	49	16
25.	"	कैराड	56	31
26.	"	किस्तूड	44	30
27.	"	कान्डोई बौन्दर	13	103
28.	"	मोठी	12	19
29.	"	काण्डी चामा गाता	13	18
30.	"	गुठाड	11	13
31.	"	छुल्टाड	17	48
32.	"	नाडा	10	10
33.	"	म्यूढा	18	5
34.	"	कुन्ना	17	7
35.	"	लावडी	25	18
36.	"	मटाड छौटाड	14	70
37.	"	लाखामण्डल	19	31
38.	"	घोर पुडिया	10	11
39.	"	कन्धाड	25	98
40.	"	कुराड खनाड सिचाड	18	24
41.	"	मझगाँव संगोग	16	81
42.	"	मिण्डाल	14	79
43	"	बनियाना	15	80

1	2	3	4	5
44.	चकराता	सुजऊ	38	145
45.	"	सावड़ा	24	79
46.	"	कुनैन	54	8
47.	"	अमराड़ झबराड़	60	13
48.	"	खरोड़	81	33
49.	"	चिल्हाड़	20	34
50.	"	पेनवा	26	32
51.	"	भन्द्रोली	19	61
52.	"	मबेला	15	79
53.	"	दौंधा	19	25
54.	"	मटियाना	25	99
55.	"	मझगाँव क्वानू	21	81
56.	"	मलोथ क्वानू	15	110
57.	"	कोटा क्वानू	16	81
58.	"	मलेथा	22	47
59.	"	कितरोली	16	56
60.	"	हाजा	20	49
61.	"	दसऊ	18	1
62.	"	कान्धोई भरम	70	120
63.	"	कावाखेड़ा	41	83
64.	"	टारता	16	67
65.	"	कुनवा	74	97
66.	"	बायला	28	115
67.	"	आसोई	27	85

1	2	3	4	5
68.	चकराता	बुल्हाड	26	129
69.	"	बेगी	97	77
70.	"	कोटी कनासर	91	38
71.	"	जाड़ी	33	40
72.	"	बुरायला	40	39
73.	"	गशाक	88	26
74.	"	मुगाड	81	37
75.	"	राजाणू	43	30
76.	"	लोहारी	23	33
77.	"	हरटाड सन्ताड	85	26
78.	"	कोटा तपलाड	11	27
79.	"	सिलानू	13	22
80.	"	कोल्हा	0	30
81.	"	खबड	17	9
82.	"	खारसी	26	23
83.	"	खाटवा	24	8
84.	"	धाणता	17	8
85.	"	डेरियो	18	17
86.	"	जोगियो	20	23
87.	"	दावला	10	8
88.	"	जरटा	15	8
89.	"	पुनाह पोखरी	19	15
90.	"	बुरास्वा	32	20
91.	"	बिजनू	17	16

1	2	3	4	5
92.	चकराता	बेहमू	17	30
93.	"	मैयरावना	16	46
94.	"	रावना	29	17
95.	"	रंगेऊ	37	20
96.	"	सीढी बडकोटी	14	10
97.	"	सहिया	9	39
		योग	3170	4460
98.	कालसी	बोसान	1	1
99.	"	कालसी	1	3
100.	"	घ्वेरा	1	0
101.	"	बनसार	3	5
102.	"	बिजऊ	1	1
103.	"	दोऊ	1	3
104.	"	सराडी	3	6
105.	"	रूपऊ	2	3
106.	"	टिपऊ	3	7
107.	"	चन्देऊ	5	4
108.	"	मन्डोली	1	1
109.	"	सुपऊ	1	—
110.	"	समाल्टा	1	8
111.	"	इच्छाल	1	—
112.	"	नेवी	1	1
113.	"	उदपाल्टा	1	3
114.	"	रानी गाँव	2	12

1	2	3	4	5
115.	कालसी	बसाया	3	—
116.	"	कामला	2	—
117.	"	कोटा तारली	3	2
118.	"	सल्या	3	—
119.	"	अष्टी	1	2
120.	"	कोथी	4	1
121.	"	लोरली	1	1
122.	"	अष्टाड	2	5
123.	"	मांगरोली	3	—
124.	"	रिखाड	1	—
125.	"	खतार	0	1
126.	"	सिमरू	0	4
127.	"	जडाना	0	1
128.	"	देसऊ	0	4
129.	"	झुसौ भाकरी	0	2
130.	"	बडनू	0	1
131.	"	जोशी गोथान	0	3
132.	"	बाडो	0	3
133.	"	कचटा	0	3
134.	"	क्वासा	0	1
136.	"	लखवाड	0	3
136.	"	लखस्यार	0	3
137.	"	संलगा	0	2
138.	"	निथला	0	5

1	2	3	4	5
139.	विकासनगर	कोरूवा	0	1
140.	,,	मंगरौली	0	5
141.	,,	डागूरा	0	1
142.	,,	खमरौली	0	1
		योग	52	114
143.	विकासनगर	आदूवाला	10	7
144.	,,	अम्बाडी	9	6
145.	,,	बाबूगढ	19	10
146.	,,	बादामावाला	18	14
147.	,,	बडवा	6	11
148.	,,	बैरागीवाला	3	8
149.	,,	बालूवाला	4	4
150.	,,	बावनधार	4	25
151.	,,	भलेर	17	11
152.	,,	भीमावाला	17	9
153.	,,	बुलाकीवाला	10	19
154.	,,	चाँदपुर खुर्द	8	27
155.	,,	डाकपत्थर	2	8
156.	,,	ढकरानी	354	29
157.	,,	ढलानी	17	9
158.	,,	ढालीपुर	5	7
159.	,,	धर्मावाला	5	6
160.	,,	ऐठन बाग	11	5

1	2	3	4	5
161.	विकासनगर	फतेहपुर	8	11
162.	"	हसन कल्याणपुर	6	14
163.	"	होरावाला	5	17
164.	"	जामनखाता	5	11
165.	"	जमनीपुर	11	7
166.	"	जस्सोवाला	10	5
167.	"	जाटोवाला	11	11
168.	"	जीवनगढ़	5	9
169.	"	कटापत्थर	30	22
170.	"	केदारवाला	12	14
171.	"	कुंजा ग्रान्ट	10	10
172.	"	कुंजा कुल्हाल	17	16
173.	"	लखनवाला नेवट	3	8
174.	"	लाघा	48	15
175.	"	मदरसू	13	23
176.	"	माजरी	8	9
177.	"	मटोगी	14	6
178.	"	मेदनीपुर बद्रीपुर	17	15
179.	"	महूँवाला खालसा	16	69
180.	"	नवाबगढ़	8	7
181.	"	पपडीयान	18	11
182.	"	पष्टा	15	12
183.	"	प्रतीतपुर	12	10

1	2	3	4	5
184.	विकासनगर	पृथ्वीपुर	7	9
185.	,,	रसूलपुर	8	5
186.	,,	रुद्रपुर	5	16
187.	,,	सभावाला	24	17
188.	,,	साहपुर कल्यापुर	8	9
189.	,,	शेरपुर	12	14
190.	,,	शीशमबाड़ा	8	15
191.	,,	सोरना	5	15
192.	,,	तौली	22	13
193.	,,	टिमली	4	5
194.	,,	तिपरपुर	18	16
195.	,,	वन विभाग	2	0
196.	,,	रेशम विभाग	0	6
197.	,,	पशुपालन विभाग	0	2,
		योग	944	638
198.	रायपुर	अखण्डवाल भिलग	4	10
199.	,,	अस्थल	2	3
200.	,,	बडासी ग्रान्ट	1	2
201.	,,	भोपाल पानी	2	2
202.	,,	चामासारी	1	6
203.	,,	छमरोली	1	6
204.	,,	डांडा लखोन्ड	2	4
205.	,,	द्वारा	2	6

1	2	3	4	5
206.	रायपुर	धारकोट	1	3
207.	"	हल्वाड़ी	1	8
208.	"	कार्लीगाड़	1	4
209.	"	बथारा	1	3
210.	"	खौरीमान सिंह	2	2
211.	"	कोटी मयचक	1	3
212.	"	लडवाकोट	2	3
213.	"	मथरोवाला	2	1
214.	"	नाहीकला	3	5
215.	"	नागल हटनाला	1	2
216.	"	रामनगर डांडा	1	2
217.	"	सनगाँव	1	0
218.	"	सरखेत	1	2
219.	"	सौडा सरोली	3	9
220.	"	शेरकी	3	5
221.	"	सेवला कला	1	2
222.	"	सिल्ला	1	7
223.	"	सिंधवालगाँव	1	2
224.	"	तलाई	2	0
225.	"	थेवा	1	3
226.	"	टिमली मानसिंह	2	3
227.	"	कुड़ियाल	0	2
228.	"	सरोना	0	5

1	2	3	4	5
229.	"	थानो	0	1
230.	"	डांडा खुदानेवाला	0	3
231.	"	नत्थनपुर	0	2
232.	"	किरसाली	0	1
233.	"	तरला नागल	0	1
		योग	50	122
234.	सहसपुर	मिसरास पट्टी	3	0
235.	"	आमवाला	5	13
236.	"	गुजराडा करपुर	2	3
237.	"	कोटड़ा सन्तोर	5	25
238.	"	चौकी	4	14
239.	"	से0हा0टा0	3	0
240.	"	पौधा	4	4
241.	"	भगवानपुर जुलो	1	1
242.	"	शंकरपुर	0	8
243.	"	रामपुर कला	0	6
244.	"	कोटड़ा कल्याणपुर	0	9
245.	"	हरियावाला खुर्द	0	2
246.	"	छर्बा	0	11
247.	"	झाझरा	0	2
248.	"	राजावाला	0	4
249.	"	हरियावाला कला	0	11
250.	"	विधौली	0	6

1	2	3	4	5
251.	सहसपुर	तिलवाड़ी	0	2
252.	,,	कण्डाली	0	2
253.	,,	नौगाँव	0	14
254.	,,	रिखोली	0	3
255.	,,	अटक फार्म	0	2
		योग	27	142
256.	डोईवाला	मियावाला	2	2
257.	,,	डोईवाला	2	3
258.	,,	बागी	1	7
259.	,,	भट्टोवाला	1	3
260.	,,	गोहरी माफी	1	7
261.	,,	प्रतीत नगर	1	1
262.	,,	नकरौंदा	1	8
263.	,,	माजरी माफी	2	1
264.	,,	गढ़ीमयचक	1	13
265.	,,	सिमलास ग्रांट	1	5
266.	,,	नागल ज्वालापुर	1	6
267.	,,	हरिपुर कला	1	10
268.	,,	चकतुनवाला	1	4
269.	,,	खदरी खड़क माफ	1	2
270.	,,	मारखम ग्रान्ट	1	—
271.	,,	बड़कोट	1	1
272.	,,	गडूल	1	1
273.	,,	बीरपुर खुर्द	1	1

1	2	3	4	5
274.	डोईवाला	कोडसी	1	1
275.	"	गुमानीवाला	1	11
276.	"	मोहकमपुर खुर्द	3	9
277.	"	हर्रावाला	1	3
278.	"	कुआंवाला	1	1
279.	"	ऋषिकेश	1	1
280.	"	रानीपोखरी	1	1
281.	"	नत्थूवाला	0	1
282.	"	भोगपुर	0	1
283.	"	दूधली	0	11
284.	"	श्यामपुर	0	5
285.	"	भानियावाला	0	1
286.	"	माजरी ग्रान्ट	0	1
		योग	30	124
		महायोग	4273	5600 = 9873

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न–5 का उत्तर पीछे पृष्ठ–18 पर)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में मनरेगा योजना का प्रगति विवरण

31–12–2013 (वर्ष 2008–09 से 2012–13)

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	कुल जॉबकार्ड धारक संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)	100 दिन का रोजगार प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आड्डवाला	396	33.64	–
2.	अम्बाड़ी	510	38.81	–
3.	बाबूगढ़	243	27.79	5
4.	बदमावाला	163	13.54	–
5.	बड़वा	127	8.95	–
6.	बैरागीवाला	149	13.86	–
7.	बालूवाला	229	12.41	–
8.	बावनधार	211	71.75	15
9.	भलेर	172	26.92	–
10.	भीमावाला	207	25.22	–
11.	बुलाकीवाला	190	17.20	–
12.	चादपुर खुर्द	87	2.06	–
13.	डाकपत्थर	133	11.01	–
14.	ढकरानी	1621	189.88	39
15.	ढलानी	122	2.00	–
16.	ढालीपुर	63	19.96	–
17.	धर्मावाला	249	24.61	–

1	2	3	4	5
18.	एटनबाग	387	26.68	—
19.	फतेहपुर	324	14.46	—
20.	हसनपुर कल्याणपुर	77	15.38	—
21.	होरावाला	176	5.10	—
22.	जागनखाता	301	54.77	—
23.	जमनीपुर	469	50.03	—
24.	जस्सोवाला	172	19.90	—
25.	जाटोवाला	250	38.74	5
26.	जीवनगढ	141	5.00	—
27.	कटापत्थर	165	42.21	—
28.	केदारवाला	254	44.69	—
29.	कुन्जा ग्रान्ट	320	27.02	—
30.	कुन्जा कुल्हाल	350	47.84	—
31.	लखनवाला नेवट	271	5.47	—
32.	लाघा	247	26.59	—
33.	मदसू	77	10.96	—
34.	माजरी	240	36.96	—
35.	मटोगी	106	24.83	—
36.	मेदनीपुर बद्रीपुर	399	11.22	2
37.	मेहूवाला खालसा	242	15.16	—
38.	नवाबगढ	185	17.48	—
39.	पपडियान	174	37.39	—
40.	पष्टा	120	31.93	—

1	2	3	4	5
41.	प्रतीतपुर	214	18.53	—
42.	पृथ्वीपुर	162	11.65	—
43.	रसूलपुर	93	6.90	—
44.	रुद्रपुर	138	10.89	4
45.	समाताला	503	38.27	—
46.	शाहपुर कल्याणपुर	269	10.61	—
47.	शेरपुर	479	30.64	—
48.	शीशमबाड़ा	167	24.36	—
49.	सोरना	227	3.01	—
50.	तौली	317	41.81	—
51.	टिमली	325	18.25	—
52.	तिपरपुर	255	20.98	—
	योग	13468	1385.27	70

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न–15 का उत्तर पीछे पृष्ठ–24 पर)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यों का जनपदवार विवरण

31–03–2014

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पूर्ण कार्यों का विवरण			निर्माणाधीन कार्यों का विवरण		
		संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (करोड़ रू0 में)	संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (करोड़ रू0 में)
1.	अल्मोड़ा	49	472	121	26	243	92
2.	बागेश्वर	42	327	93	37	167	81
3.	चमोली	36	340	83	60	405	190
4.	चम्पावत	33	252	67	16	146	54
5.	देहरादून	39	318	62	17	163	45
6.	हरिद्वार	50	86	18	0	0	0
7.	नैनीताल	44	337	88	31	206	84
8.	पौड़ी	61	441	97	46	382	140
9.	पिथौरागढ़	32	203	51	36	326	141
10.	रुद्रप्रयाग	34	278	73	18	188	79
11.	टिहरी	55	439	90	42	380	145
12.	ऊधमसिंह नगर	33	87	22	1	0	5
13.	उत्तरकाशी	26	150	40	22	181	58
	योग	536	3730	905	352	2786	1114

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ–24 पर)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का जनपदवार विवरण

31–03–2014

क्र0	जनपद का नाम	स्वीकृत कार्य		वन अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित योजनाओं का जनपदवार विवरण	
		संख्या	स्वीकृत लागत (करोड़ रु0 में)	संख्या	स्वीकृत लागत (करोड़ रु0 में)
1.	अल्मोड़ा	92	274.58	3	10.31
2.	बागेश्वर	101	284.96	9	34.67
3.	चमोली	130	447.63	11	87.62
4.	चम्पावत	55	140.53	1	4.74
5.	देहरादून	82	224.49	11	64.66
6.	हरिद्वार	68	33.09	0	0.00
7.	नैनीताल	81	196.47	2	12.02
8.	पौड़ी	138	381.55	4	16.97
9.	पिथौरागढ	85	272.29	9	36.94
10.	रुद्रप्रयाग	71	231.01	2	12.95
11.	टिहरी	130	372.91	6	16.63
12.	ऊधमसिंह नगर	34	27.51	0	0.00
13.	उत्तरकाशी	58	123.23	3	10.48
	योग	1125	3010.25	61	307.99

नत्थी 'छ'

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न सं0–23 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–29 पर)

संख्या–722 / X–2–2014–21(15) / 2014

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,

उत्तराखण्ड देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनाँकः 05 मार्च, 2014

विषयः–"मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती की सुरक्षा योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष से कृषि फसलों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्य में "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती की सुरक्षा योजना" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत मुख्यतः निम्न कार्य किये जायेंगे :–

(1) पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में जंगली सुअररोधी दीवार का निर्माण किया जाना।

(2) मैदानी क्षेत्रों में हाथी एवं नीलगाय से सुरक्षा हेतु खेतों के चारों ओर सुरक्षा खाई, सौर–फैन्सिंग एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाना।

(3) बन्दर आदि वन्यजीवों को जंगल के भीतर ही बनाये रखने के उद्देश्य से जंगलों के भीतर फलदार वृक्षों का रोपण किया जाना।

(4) शहरी क्षेत्रों के आस–पास वनों में बन्दरों की मानव द्वारा फिडिंग हेतु विशेष स्थल चिन्हित करना तथा अन्य स्थानों पर मानव द्वारा बन्दरों की फिडिंग किये जाने पर रोक लगाया जाना।

(5) उत्पाती बन्दरों को चिन्हित कर उनका बध्याकरण करने की कार्रवाई किया जाना।

(6) फसल पद्धति (क्रापिंग पैटर्न) में परिवर्तन करने हेतु प्रोत्साहन देते हुए पारम्परिक फसलों के स्थान पर सगंध एवं औषधीय पादपों, जिनको वन्यजीवों द्वारा क्षति पहुँचाने की कम सम्भावना होती है, की खेती को बढ़ावा देना।

(7) वन क्षेत्रों से कूरी की झाड़ी (लैण्टाना) एवं काला बांसा का उन्मूलन कर वन्यजीवों के वास स्थलों का सुधार करना ताकि वन्यजीव खेतों की ओर रुख न करें।

(8) वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए जलकुण्डों की व्यवस्था करना।

(9) गुलदाररोधी गोशालाओं का निर्माण एवं पुरानी गोशालाओं को गुलदाररोधी बनाये जाने हेतु सहायता/प्रोत्साहन दिया जाना।

(10) खेतों की तार–बाड़ में प्रकाश का परावर्तन करने वाले प्रकाश/शीशों का प्रयोग करना।

(11) किसानों के आवेदन पर उनको खेतों की रामबांस, बांस व अन्य प्रजातियों की जैविक–बाड़ (बायोफैन्सिंग) करने हेतु सहायता देना।

2. उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु मानव–वन्यजीव संघर्ष रोक–थाम योजना, कैम्पा योजना, मनरेगा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उरेडा, JICA योजना, सगंध पादप केन्द्र योजना व बांस एवं रेशा विकास परिषद् आदि के साथ डवटेल/सहयोग कर वित्तीय संसाधन जुटाये जायेंगे। योजना हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम से भी वित्त पोषण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मदवार वित्तीय संसाधनों का आकलन कर आवश्यक धनराशि का प्राविधान नयी मांग के माध्यम से कराया जायेगा।

3. उक्त योजना के संचालन हेतु अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समन्वयक नामित किया जाता है। समन्वयक द्वारा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय करके योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।

4. कृपया तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाई करते हुए योजना के क्रियान्वयन एवं आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कराये जाने हेतु सुविचारित एवं विवरणपरक कार्ययोजना तैयार कर शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज चन्द्रन,

अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव– 722/X-2-2014-21(15)/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग/उद्यान विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पशुपालन विभाग/वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(4) अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(5) महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

6) निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

(8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।

(9) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एफ0आर0एम0पी0 (जायका), देहरादून।

(10) निदेशक, उरेडा, देहरादून।

(11) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांस एवं रेशा विकास परिषद्, देहरादून।

(12) निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड।

(13) गार्ड फाईल।

मनोज चन्द्रन,

अपर सचिव।

नत्थी 'ज'

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न सं0–26 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–31 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2014 को श्री नवप्रभात मा0 विधायक जी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–26 का संलग्नक

क्र0सं0	योजना का नाम
1.	विशेष योजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत योजनायें– रायपुर विधान सभा के अन्तर्गत योजनायें– 1. ग्राम ननूरखेड़ा एवं सुन्दर वाला की नालापानी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना। 2. ग्राम खैरीमान सिंह की बाढ़ सुरक्षा योजना। 3. बांदल नदी से ग्राम सेरकी, झौल तथा कुमाल्डा की बाढ़ सुरक्षा योजना। 4. रिस्पना नदी के बायें किनारे पर स्थित भगतसिंह एवं शिवपुरी कालोनियों की बाढ़ सुरक्षा योजना। धर्मपुर विधान सभा के अन्तर्गत योजनायें– 1. ब्रह्मपुरी नाले के किनारे बाढ़ सुरक्षा योजना। 2. नाका खाला की बाढ़ सुरक्षा योजना। 3. कंजर नाला दौड़वाला की बाढ़ सुरक्षा योजना। मसूरी विधान सभा के अन्तर्गत योजनायें– 1. सालावाला एवं हाथी बड़कला क्षेत्रों की बाढ़ सुरक्षा योजना। डोईवाला विधान सभा के अन्तर्गत योजनायें– 1. दुल्हनी नदी के किनारे हर्रावाला की बाढ़ सुरक्षा योजना। 2. बुल्लावाला राव की बाढ़ सुरक्षा योजना। 3. महादेव खाले की बाढ़ सुरक्षा योजना। 4. जौली नाले की बाढ़ सुरक्षा योजना। ऋषिकेश विधान सभा के अन्तर्गत योजनायें– 1. लिस्ट्राबाद की बाढ़ सुरक्षा योजना। सहसपुर विधान सभा के अन्तर्गत योजनायें– 1. आसन नदी के किनारे रामपुर कला सहसपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना। विकासनगर विधान सभा के अन्तर्गत योजनायें– 1. जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासनगर विकास खण्ड में कटापत्थर सिंचाई प्रणाली की यमुना नदी से सुरक्षात्मक कार्यों की पुनर्स्थापना की योजना।

संलग्नक–2

अतारांकित प्रश्न सं0–26 का संलग्नक–2

वर्ष 2013–14 में स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रु0)
1	2	3	4
		राज्य सेक्टर	
1.	देहरादून	जनपद देहरादून के विकासनगर वि0ख0 में ग्राम जाटोवाला की जल्दरा नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना।	30.10
2.		जनपद देहरादून के विकासनगर वि0ख0 में ग्राम डांडा हसनपुर की मेहराव नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना।	24.15
3.		जनपद देहरादून के विकासनगर वि0ख0 में ग्राम समावाला की शाकुम्बरी–II नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना।	45.45
		योग जनपद देहरादून	99.70
		योग राज्य सैक्टर	99.70
		टी0एस0पी0 मद–	
4.	चमोली	जनपद चमोली में जोशीमठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सरस्वती एवं अलकनन्दा नदी के संगम पर स्थित अनुसूचित जनजाति ग्राम माणा की बाढ़ सुरक्षा योजना।	156.60
		योग जनपद चमोली	156.60
		योग टी0एस0पी	156.60
5.	देहरादून	जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में रिस्पना नदी एवं इसकी सहायक नदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना।	920.90
6.		जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड में सौंग नदी एवं इसकी सहायक नदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना।	869.60
		योग जनपद देहरादून	1790.50
7.	हरिद्वार	जनपद हरिद्वार की लक्सर वि0ख0 में सोलानी नदी के बाये तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना।	2260.57
8.		जनपद हरिद्वार में गंगा एवं बाण गंगा नदी पर बने तटबन्धों के सुदृढ़ीकरण की योजना।	1752.82
9.		जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी के किनारे बसे ग्रामों की आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तटबन्ध एवं स्टड निर्माण की योजना।	1609.00

1	2	3	4
10.		जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत गंगा नदी के दायी तट पर भोगपुर से बालावाली तक तटबन्ध के सुदृढ़ीकरण के कार्य की योजना । द्वितीय चरण (किमी0 0.000 से किमी0 20.500)	1306.00
11.		जनपद हरिद्वार से सोलानी नदी के दोनों तटों पर बसे ग्रामों रायपुर, इब्राहिमपुर, सोलानीपुरम, जमालपुर आदि की आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु रीवर ट्रेनिंग कार्यों (तटबन्ध एवं स्टड निर्माण) की योजना।	3319.49
12.		जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे बसे ग्रामों की आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तटबन्ध एवं स्टड निर्माण योजना।	3484.99
		योग जनपद हरिद्वार	13732.87
13.	नैनीताल	जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत सूखी नदी के किनारे स्थित ग्रामों की सूखी नदी से बचाव हेतु कटाव निरोधक कार्य की योजना।	1627.19
14.		जनपद नैनीताल के रामनगर शहर एवं पुछड़ी ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1488.99
		योग जनपद नैनीताल	3116.18
15.	ऊधमसिंह नगर	ऊधमसिंह नगर में ग्राम जोगिपुरा, गोबरा एवं बेनितखेड़ी के बांये किनारों की कोसी एवं इनकी सहायक नदी दाबका से बाढ़ सुरक्षा योजना।	1496.35
		योग जनपद ऊधमसिंह नगर	1496.35
		योग सी0एस0एस0	20135.90
		<u>सी0एस0एस0 (आर0):-</u>	
16.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखण्ड में भागीरथी नदी पर तिलोथ एवं उजेली, कलक्ट्रेट कालोनी बाढ़ सुरक्षा योजना।	1129.71
17.		उत्तरकाशी के डुण्डा विकास खण्ड में मातली, बड़ेथी चुंगी, रतुड़ी सेरा, जड़ी दुमका बाढ़ सुरक्षा योजना।	958.43
18.		उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड में पावर हाउस के अपस्ट्रीम में सिमोड़ी नामे तोक, गंगोरी, भीमगुफा लक्षेश्वर एवं मनेरा की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1100.92

1	2	3	4
19.		उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड में गणेशपुर एवं नैताला सिरोर बाढ़ सुरक्षा योजना।	1053.93
20.		उत्तरकाशी के डुण्डा विकास खण्ड में डुण्डा शहर, बीरपुर डुण्डा एवं अठाली की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1120.27
21.		उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड में भटवाड़ी, चड़ैथी, भटवाड़ी घाट एवं धराली एवं मैलूड़ा की बाढ़ सुरक्षा योजना।	915.30
22.		उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड मनेरी बाढ़ सुरक्षा योजना।	777.98
23.		उत्तरकाशी के भटवाड़ी एवं डुण्डा विकास में भागीरथी नदी के दॉये किनारे पर तिलोथ पुल के अपस्ट्रीम एवं पोखू देवता के पास (मातली) में नॉनसौड़ अनुसूचित जाति बस्ती की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1120.09
24.		उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड में भागीरथी नदी के दॉये किनारे पर जोशियाड़ा बैराज के डाउनस्ट्रीम में पुलिस अधीक्षक के आवास से कण्डोला तक एवं सैंज नर्लोणा की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1182.50
25.		उत्तरकाशी के नौगाँव एवं मोरी विकास खण्ड में खरादी, मोरी इण्टर कालेज एवं हास्पिटल, पोंटी एवं मुलाना बाढ़ सुरक्षा योजना।	1113.47
		योग जनपद उत्तरकाशी	10472.60
26.	रुद्रप्रयाग	जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकास क्षेत्र में सुमाड़ी बाजार की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	831.56
27.		जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि विकास क्षेत्र में तिलवाड़ा बाजार की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	859.62
28.		जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि विकास क्षेत्र में चन्द्रापुरी अनुसूचित जाति बस्ती एवं चन्द्रापुरी बाजार, सिल्ली बाजार, अगस्त्यमुनी बाजार की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	1011.85
29.		जनपद रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकास क्षेत्र में कालीमठ बस्ती, बाजार ओमकारेश्वर बस्ती एवं डंगवाड़ी गाँव फाफज व बेडूला तथा सोनप्रयाग की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1058.00

1	2	3	4
30.		मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि विकास क्षेत्र में जवाहर नगर, गंगा नगर, बेडूबगड़ एवं सौड़ी बाजार की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	870.19
31.		जनपद रुद्रप्रयाग की देव नगर, विजय नगर, अजयपुर गाँव, रुद्रप्रयाग बाजार एवं मयाली बाजार की बाढ़ सुरक्षा योजना।	878.93
32.		जनपद रुद्रप्रयाग के उखीमठ विकास खण्ड में किमाणा, जुआ, भटवाड़ी, प्रेमनगर, गंगोली, चुन्नी, राकलैक किरोड़ा गाँवों की स्थानीय गधेरों एवं भैसारी गाँव की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	912.71
		जनपद रुद्रप्रयाग का योगः--	6422.85
33.	चमोली	चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग (सिमली, अपर बाजार, कर्णप्रयाग आई0टी0आई0, तैफना, मंगरोली, कर्णप्रयाग) विकास खण्ड नारायणबगड़ (जीतसिंह मार्केट), विकास खण्ड थराली (नासिर बाजार), विकास खण्ड गैरसैंण (जिनगोर, देवलकोट) 9 गाँवों की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1142.63
34.		जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल में सुनाऊँ तल्ला, कुलसारी बाजार, उँणीबगड़, सिंलगी तथा थराली विकास खण्ड में चैपड़ों बाजार की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1196.50
		जनपद चमोली का योगः--	2339.13
35.	पौड़ी	जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में कमलेश्वर बाढ़ सुरक्षा योजना का पुनर्निर्माण/विस्तारीकरण एवं जनपद के साकरसैंण, बसडा एवं बुगलगड्डी बाजार, जहरीतल्ली, आदि गाँवों की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1052.26
36.		जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में एस0एस0बी0 परिक्षेत्र की अलकनन्दा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	1152.72
37.		जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में केदार मौहल्ला क्षेत्र की अलकनन्दा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	1158.26
38.		जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आई0टी0आई0 परिक्षेत्र की अलकनन्दा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	1149.94
39.		जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में लोअर भक्तियाना क्षेत्र की अलकनन्दा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	1161.03
		जनपद पौड़ी का योगः--	5674.21

1	2	3	4
40.	देहरादून	देहरादून के डोईवाला विकासखण्ड में अस्था पथ, त्रिवेणी घाट एवं पशुलोक में आमबाग नाला बाढ़ सुरक्षा योजना।	904.18
41.		जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी, चकराता एवं विकासनगर में सहिया बाजार, हरीपुर नाला, क्यारका–मैसासा, बोन्दर क्षेत्र (लाखामण्डल) गण्डा (ल्यूनी) तथा पृथ्वीपुर एवं बहादुरगढ़ बाढ़ सुरक्षा योजना।	1178.85
		योग जनपद देहरादून	2083.03
42.	टिहरी	जनपद टिहरी में मुनिकीरेती बन्धो का पुनर्निर्माण, विस्तारीकरण एवं कीर्तिनगर क्षेत्र में रानीहाट व नैथाना ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजनायें।	1067.78
43.		जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापपुर एवं भिलंगना विकास खण्ड के अन्तर्गत क्रमशः जलकुर नदी एवं भिलंगना नदी, बालगंगा एवं धर्मगंगा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजनायें।	1019.43
		जनपद टिहरी का योगः–	2087.21
44.	हरिद्वार	जनपद हरिद्वार के सोनाली बन्ध, भोगपुर बालावाला बन्ध, खानपुर बन्ध, बिशनपुर कुण्डी बन्ध एवं कांगडी के क्षतिग्रस्त बाढ़ कार्यों के पुर्नस्थापना की योजना।	1129.27
45.		जनपद हरिद्वार में मिठ्ठी बेरी, कांगड़ी पुण्य भूमि अययापुर, कोटवाल आलमपुर, हस्तमोली, प्रहलादपुर, ब्राह्मण–वाला, शाहपुर एवं आलमपुर ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1005.08
46.		जनपद हरिद्वार के ग्राम शहीदवाला ग्रान्ट, बुग्गावाला, नौकराग्रान्ट, बादीवाला, दौड़बासी एवं डंडेरी–ख्वाजीपुर के बाढ़ सुरक्षा योजना।	943.12
47.		जनपद हरिद्वार के ग्राम दरियापुर–दयालपुर, रहमतपुर बढेरी राजपुताना, भौंरीखेरा, बहादरपुर, संतनपुर, बेगमपुर, खेड़ी एवं कमालपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना।	968.35
48.		हरिद्वार जनपद के भगवानपुर विकास खण्ड में ग्राम बहावपुर, छंग्गामाजरी की सोलानी नदी से कटाव सुरक्षा योजना।?	1236.24
		जनपद हरिद्वार का योगः–	5282.06

1	2	3	4
49.	पिथौरागढ़	जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट की सुरक्षा हेतु काली नदी के दाएं पार्श्व पर बाढ़ सुरक्षा योजना।	906.61
50.		जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत गोठी कस्बे की सुरक्षा हेतु काली नदी के दाएं पार्श्व पर बाढ़ सुरक्षा योजना।	916.35
51.		जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला व मूनाकोट वि0ख0 में जौलजीबी व झूलाघाट कस्बे की बाढ़ सुरक्षा योजना।	891.23
52.		जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी में गोरी नदी के बायें किनारे पर स्थित मदकोट कस्बे की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।	951.34
53.		जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी में भुजगढ़ नदी के बायें किनारे स्थित ग्राम बासबगढ़ एवं रामगंगा नदी के बायें तथा दायें किनारे पर स्थित नाचनी कस्बे की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1130.61
54.		जनपद पिथौरागढ़ के में धारचूला के काली नदी के दायें पार्श्व पर स्थित मल्ला गोठी एवं मल्ला बलुवाकोट कस्बों की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।	973.80
55.		जनपद पिथौरागढ़ धारचूला विकास खण्ड में धौली गंगा नदी के दांये पार्श्व पर स्थित ग्राम खेत एवं काली नदी के दायें पार्श्व पर स्थित ग्राम दोबाट एवं नया बस्ती सीपू तल्ला की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।	1035.58
56.		जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विकास खण्ड में गोरी नदी के बांये पार्श्व पर स्थित बंगापानी व जौलजीबी कस्बों की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।	835.61
57.		जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी में मदकनियाँ नदी के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम रोपाड़ एवं दायें पार्श्व पर स्थित ग्राम बामीगाँव एवं डोबरी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।	957.95

1	2	3	4
58.		जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में काली नदी के दायें पार्श्व पर स्थित ग्राम खोतेला की बाढ़ सुरक्षा योजना।	924.78
		योग जनपद पिथौरागढ़	9487.66
59.	चम्पावत	जनपद चम्पावत में टनकपुर शहर नायकगोठ व थ्वालखेड़ा ग्रामों की शारदा नदी से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	874.94
60.		जनपद चम्पावत के विकास खण्ड चम्पावत में शारदा नदी के दाएं पार्श्व पर ग्राम ब्रह्मदेव एवं उचौलीगोठ बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	1218.87
		योग जनपद चम्पावत	2093.81
61.	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में सरयू नदी की बाढ़ से बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 616/2012)	1248.71
62.		जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में रेवती नदी घाटी की बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 616/2012)	781.09
63.		बागेश्वर के अन्तर्गत सरयू नदी की सहायक नदियों से खाती गाँव, तल्लीघाट, मल्लसेरा व सिसौलीसेरा ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1009.68
		योग जनपद बागेश्वर	3039.48
64.	अल्मोड़ा	जनपद अल्मोड़ा वि0ख0 लमगड़ा, जैंती, भैसियाछाना व चौखुटिया में बोरागाँव (नल्थी), ल्वाली, हयूली धौली, कालीखान, देवका नैनी, कुंजसुगाडी, खेनीपाण्डे पटेलिया, आराकुंज दुनाड, खरागड, नौगड, भनोटिया, रामपुर, सुनगडी, जमनिया, ताजपुर, रमन्तागाँव, पुलह व ख्रुघ	1053.33
65.		जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में रामगंगा नदी से गनाई से उदलीखान तक बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	1062.99
		योग जनपद अल्मोड़ा	2116.32

1	2	3	4
66.	ऊधमसिंह नगर	जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड में लेवड़ा नदी के दोनों तटों पर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा योजना।	1003.04
67.		जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील किच्छा के अन्तर्गत गोला नदी से ग्राम गाँधीनगर, कोटखर्रा, बंडिया, भगवानपुर, सुतइया एवं किच्छा शहर की बाढ़ सुरक्षा योजना।	1125.92
		योग जनपद ऊधमसिंह नगर	2128.96
		कुल योग सिंचाई विभाग सी0एस0एस0–आर0	53227.32
		यूजेवीएनल–	
68.	उत्तरकाशी	River Training Works Including Miscellaneous Associated Works on Both Banks of Bhagirathi River as per requirement from Jhula pul to Tiloth Bridge excluding proposed works on left bank from Tiloth Bridge to Switechyard of MD-I at Uttarkashi.	7670.97
69.		Protection Work on both banks of Bhagirathi River from Joshiyara Barrage to Jhulapul at Uttarkashi.	4881.41
		योग यूजेवीएनल सी0एस0एस0–आर0	12552.38
		महायोग–सिंचाई विभाग एवं यूजेवीएनएल–सी0एस0एस0–आर0	65779.70
		कुल योग	86171.90

नत्थी 'झ'

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न सं0–29 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–32 पर)

राजस्व विभाग

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5
1.	चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत
			पूर्णागिरी	
		लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट
				पाटी (आंशिक)
			पाटी	पाटी
			बाराकोट	बाराकोट
	योग	02	05	04
2.	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	चौखुटिया	चौखुटिया
			द्वाराहाट	द्वाराहाट (आंशिक)
				भिकियासैंण (आंशिक)

1	2	3	4	5
		सल्ट	सल्ट खुमाड़	सल्ट
			भिकियासैंण (आंशिक)	भिकियासैंण (आंशिक)
				द्वाराहाट (आंशिक)
				स्याल्दे (आंशिक)
		रानीखेत	भिकियासैंण (आंशिक)	
			रानीखेत (आंशिक)	ताड़ीखेत
				द्वाराहाट (आंशिक)
		सोमेश्वर	सोमेश्वर (आंशिक)	ताकुला
			अल्मोड़ा (आंशिक)	हवालबाग
				भैसियाछाना
				धौलादेवी (आंशिक)
				लमगड़ा (आंशिक)
			रानीखेत (आंशिक)	
		अल्मोड़ा	अल्मोड़ा (आंशिक)	
			स्याल्दे (नवसृजित)	
			धौलाछीना (नवसृजित)	
			लमगड़ा (उप तहसील)	

1	2	3	4	5
		जागेश्वर	मनोली	धौलादेवी (आंशिक)
			जैंती	लमगड़ा (आंशिक)
			अल्मोड़ा (आंशिक)	
	योग	06	11 (तहसील) 01 (उप तहसील)=12	11
3.	देहरादून	राजपुर	देहरादून	रायपुर
		ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला
		विकासनगर	विकासनगर	विकासनगर
				सहसपुर
		सहसपुर	विकासनगर (आंशिक)	
		धर्मपुर	देहरादून	
		रायपुर	देहरादून	
		देहरादून कलेमेन्टाऊन	देहरादून	
		मसूरी	देहरादून	
		डोईवाला	देहरादून	
		चकरात	चकराता	चकराता
			कालसी	कालसी
			त्यूनी	
			डोईवाला	डोईवाला
	योग	10	07	06

1	2	3	4	5
4.	उत्तरकाशी	पुरोला	मोरी	मोरी
			पुरोला	पुरोला
			बड़कोट (आंशिक)	
		यमुनोत्री	राजगढ़ी बड़कोट (आंशिक)	नौगाँव
			डुण्डा (आंशिक)	डुण्डा
			चिन्यालीसौड़	चिन्यालीसौड़
		गंगोत्री	भटवाड़ी	भटवाड़ी
			डुण्डा (आंशिक)	
	योग	03	06	06
5.	नैनीताल	लालकुआँ	लालकुआँ	हल्द्वानी
		भीमताल	नैनीताल (आंशिक)	भीमताल
				रामगढ़
				कोटा बाग (आंशिक)
			धारी	धारी
		नैनीताल	नैनीताल (आंशिक)	ओखलकाण्डा (आधा भाग)
			कोश्या कुटौली	बेतालघाट (आंशिक)
				रामगढ़ (आंशिक)
			बेतालघाट	बेतालघाट

1	2	3	4	5
		हल्द्वानी	हल्द्वानी (आधा भाग)	हल्द्वानी
		कालाढूंगी	हल्द्वानी (आधा भाग)	
			कालाढूंगी	कोटाबाग
			नैनीताल (आंशिक)	
		रामनगर	रामनगर	रामनगर
	योग	06	08	08
6.	पौड़ी गढ़वाल	यमकेश्वर	लैन्सडौन	जहरीखाल
				रिखणीखाल
				द्वारीखाल
			कोटद्वार	दुगड्डा
				द्वारीखाल
			यमकेश्वर	यमकेश्वर
		पौड़ी	श्रीनगर	खिर्सू कोट
			पौड़ी	पौड़ी
				पावौ
				कल्जीखाल
				कोट

1	2	3	4	5
		श्रीनगर	श्रीनगर	
			पौड़ी	
			चाकीसैंण	थलीसैंण
			थलीसैंण	थलीसैंण
				बीरोंखाल
		चौबट्टाखाल	चौबट्टाखाल	पोखड़ा
				एकेश्वर
			पौड़ी	
			सतपुली	कल्जीखाल
				एकेश्वर
				जहरीखाल
			थलीसैंण	
		लैन्सडौन	लैन्सडौन	
			धूमाकोट	नैनीडाण्डा
				बीरोंखाल
		कोटद्वार	कोटद्वार	दुगड्डा
				द्वारीखाल
	योग	06	10	15

1	2	3	4	5
7.	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर
			काफलीगैर	
			गरूड	गरूड़
		कपकोट	कपकोट	कपकोट
			शामा (उप तहसील)	
			दुग--नाकुरी	
			काण्डा	बागेश्वर
	योग	02	06 (तहसील, 01 (उप तहसील)=07	03
8.	रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	ऊखीमठ	ऊखीमठ
			रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि
		रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि
			जखोली	जखोली
			बसुकेदार (नवसृजित)	
	योग	02	04	03
9.	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर	काशीपुर	जसपुर (आंशिक)
				काशीपुर
		जसपुर	काशीपुर (आंशिक)	
			जसपुर	जसपुर

1	2	3	4	5
		बाजपुर	काशीपुर	
		खटीमा	खटीमा	खटीमा
		नानकमत्ता	खटीमा (आंशिक)	
			सितारगंज (आंशिक)	
		रूद्रपुर	किच्छा (आंशिक)	
			गदरपुर (आंशिक)	
		किच्छा	किच्छा	रूद्रपुर
		सितारगंज	किच्छा (आंशिक)	
			सितारगंज	सितारगंज
		गदरपुर	गदरपुर	गदरपुर
			बाजपुर	बाजपुर
				काशीपुर (आंशिक)
			रूद्रपुर (नवसृजित)	
	योग	09	08	07
10.	पिथौरागढ	धारचूला	धारचूला	धारचूला
			मुनस्यारी	मुनस्यारी
			बंगापानी	धारचूला (आंशिक)
				मुनस्यारी (आंशिक)

1	2	3	4	5
				कनालीछीना (आंशिक)
				डीडीहाट (आंशिक)
		डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट
				कनालीछीना
			कनालीछीना	कनालीछीना
			देवलथल	
			पिथौरागढ़ (आंशिक)	
			बंगापानी (आंशिक)	
		पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	बिण
				मूनाकोट
		गंगोलीहाट	गंगोलीहाट	गंगोलीहाट
			बेरीनाग	बेरीनाग
			गणाई–गंगोली	गंगोलीहाट
	योग	04	10	08
11.	टिहरी गढ़वाल	घनसाली	पनसाली	भिलंगना (पूर्ण)
				जाखणीधार (आंशिक)
		देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिण्डोलाखाल (पूर्ण)
				कीर्तिनगर (आंशिक)

1	2	3	4	5
			जाखणीधार	थौलधार (छाम)
		नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर (फकोट) पूर्ण
			देवप्रयाग	
			गजा	नरेन्द्रनगर (फकोट)
				चम्बा (आंशिक)
		प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर (पूर्ण)
				जाखणीधार (आंशिक)
			टिहरी	
			कण्डीसौड़	थौलधार (छाप)
		टिहरी	टिहरी	चम्बा
				थौलधार (आंशिक)
			जाखणीधार	
		धनोल्टी	धनोल्टी	जौनपुर (थत्यूड़)
				चम्बा (आंशिक)
			नैनबाग	जौनपुर (थत्यूड़)
			कण्डीसौड़	
	योग	06	10	09

1	2	3	4	5
12.	चमोली	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ
			चमोली	दशोली (चमोली)
			पोखरी	पोखरी
		कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग
			गैरसैंण	गैरसैंण
			आदिबद्री	
		पिण्डर	थराली	थराली
			घाट	घाट
				नारायणबगड़
				देवल
	योग	03	08	09
13.	हरिद्वार	हरिद्वार	हरिद्वार (आंशिक)	बहादराबाद
		हरिद्वार (ग्रामीण)	हरिद्वार (आंशिक)	
		बी0एच0ई0एल0 (रानीपुर)	हरिद्वार (आंशिक)	
		ज्वालापुर	हरिद्वार (आंशिक)	
			रुड़की (आंशिक)	
		भगवानपुर	रुड़की	भगवानपुर

1	2	3	4	5
				रुड़की
				नारसन
		झबरेड़ा	रुड़की	
		पिरान कलियर	रुड़की	
		रुड़की	रुड़की	
		खानपुर	रुड़की (आंशिक)	
			लक्सर (आंशिक)	
		मंगलौर	रुड़की	
		लक्सर	लक्सर	लक्सर
				खानपुर
			भगवानपुर (नवसृजित)	
			नारसन (नवसृजित)	
	योग	11	05	06

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधा0/268–08–12–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।